INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

(Rajasthan Administrative Service)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

भाग – 2

राजस्थान का भूगोल + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) प्रारंभिक परीक्षा हेतु** " को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Order Link - **https://bit.ly/ras-pre-notes**

WhatsApp Link- **https://wa.link/bc7sin**

मूल्य : ₹	संस्करण : नवीनतम

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	राजस्थान का भूगोल	
1.	राजस्थान - सामान्य परिचय	1
2.	राजस्थान का भौगोलिक स्वरुप	17
3.	अपवाह तंत्र – नदियाँ, झीलें एवं बाँध	29
4.	जलवायु की विशेताएँ	48
5.	प्राकृतिक वनस्पति एवं वन	56
6.	मृदा	73
7.	कृषि (प्रमुख फसलें) • गेहूँ • मक्का • जौ • कपास • गन्ना • बाजरा	80
8.	राजस्थान में पशुपालन	94
9.	प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं जल सरंक्षण तकनीकें	103
10.	जनसंख्या-वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ	116
11.	खनिज-धात्विक एवं अधात्विक	125
12.	पर्यटन स्थल एवं परिपथ	139

	राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था	152
2.	राज्यपाल	153
3.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद	160
4.	राज्य विधान मण्डल व विधानसभा	168
5.	उच्च न्यायालय	177
6.	महाधिवक्ता	184

7.	मुख्य सचिव	185
8.	राजस्थान राज्य सचिव	187
9.	विभिन्न विभागों के निदेशालय	188
10.	संभागीय आयुक्त	189
11.	पुलिस अधीक्षक	190
12.	जिला प्राशसन	191
13.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	196
14.	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	200
15.	राज्य सूचना आयोग	202
16.	राजस्थान राज्य महिला आयोग	205
17.	राजस्व मंडल	207
18.	लोकायुक्त	208
19.	राज्य मानवधिकार आयोग	212
20.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं	214
	राजस्थान की अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य	224
2.	कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे	237
3.	आधारभूत-संरचना का विकास	260
4.	ग्रामीण विकास	264
5.	पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन	270
6.	राजस्थान राज्य वित्त आयोग	274
7.	शिक्षा	277
8.	स्वास्थ्य	289
9.	राजस्थान सरकार की मुख्य जन कल्याणकारी योजनाएं	299

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – ।

राजस्थान – एक सामान्य परिचय

।. राजस्थान का सामान्य परिचय

(क) राजस्थान की उत्पत्ति / निर्माण
(ख) राजस्थान शब्द का उल्लेख
(ग) राजस्थान की स्थिति
(घ) राजस्थान का विस्तार (क्षेत्रफल, आकार, सीमा)

(क) राजस्थान की उत्पत्ति / निर्माण :-

(अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार)

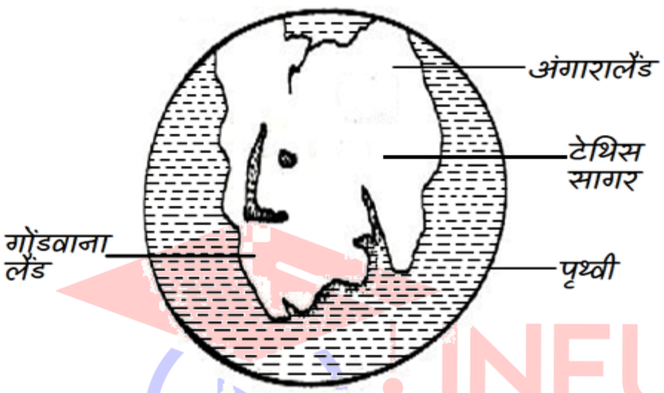

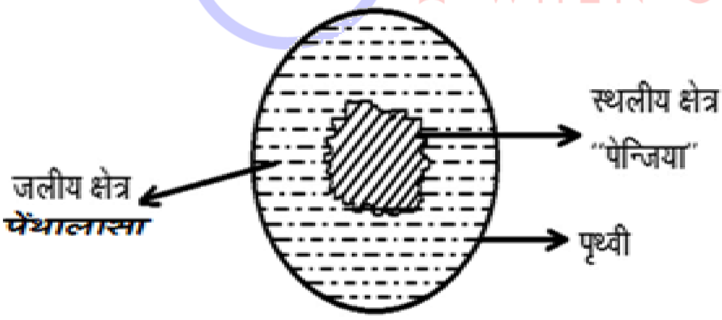

(क) पेंजिया
(ख) पेंथालासा
(ग) टेथिस सागर
(घ) अंगारालैंड / लॉरेशिया
(ङ) गोंडवानालैंड

नोट:- आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी ।

1. स्थल (पेंजिया)
2. जल (पेंथालासा)

- वर्तमान में यदि हम स्थल मंडल को देखें तो हमें यह कई भागों में विभाजित दिखाई देता है, जैसे सात महाद्वीप के रूप में अलग - अलग हैं ।
- उनके भी कई देश एक - दूसरे से काफी अलग अलग है । लेकिन लाखों – करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण स्थलमंडल एक ही था । इसी **स्थलीय क्षेत्र को "पेंजिया"** के नाम से जानते थे तथा शेष बचे हुए भाग को **(जल वाले क्षेत्र को) "पेंथालासा"** के नाम से जानते थे ।
- **पेंजिया (स्थलीय क्षेत्र)** - सभी महाद्वीपो को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है ।
- **पेंजिया का अर्थ है – सभी** महाद्वीपो का संयुक्त रूप ।
- **पेंजिया** कालान्तर में दो भागों में विभक्त हुआ -

✓ **उत्तरी भाग** –
✓ **अंगारालैंड / लॉरेशिया** - उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया महाद्वीपो का निर्माण हुआ। इस **स्थलीय क्षेत्र को "अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट"** के नाम से जानते हैं ।

✓ **दक्षिणी भाग -**
✓ **गोंडवानालैंड** - इसका दूसरा भाग (दक्षिणी भाग) में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका महाद्वीपो का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को **"गोंडवाना लैंड"** के नाम से जानते हैं ।

- **अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड** दोनों प्लेटों के बीच में विशाल सागर था जिसे "टेथिस सागर" के नाम से जानते थे ।
- **विशेष नोट** :- राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें "टेथिस सागर" के अवशेष है तथा राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र (अरावली पर्वतमाला) एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग "गोंडवाना लैंड" प्लेट के हिस्से हैं ।
- **टेथिस सागर-** (एक भू सन्नति) टेथिस सागर को गोंडवाना लैंड और **अंगारा लैंड** के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो कि एक छिछला और संकरा सागर था, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरुप अफ़्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे महान पहाड़ों की रचना हुई है।
- **पेंथालासा** – सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा गया ।

राजस्थान का निर्माण (FORMATION OF RAJASTHAN)

- राजस्थान का निर्माण - गोंडवानालैंड एवं टेथिस सागर से हुआ है ।

✓ गोंडवानालैंड से – अरावली महाद्वीपीय (सबसे प्राचीनतम) भाग एवं हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ
✓ टेथिस सागर से – मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्वी मैदान (सबसे नवीनतम) निर्माण हुआ ।

- **नोट :–** भारत के महाद्वीपीय पठार का हिस्सा – राजस्थान के अरावली महाद्वीपीय भाग एवं हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ ।
  - भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा – राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्वी मैदान निर्माण हुआ ।

नोट – राजस्थान की भौगोलिक संरचना की शुरुआत जुरासिक काल में मानी जाती है ।

- राजस्थान का वास्तविक निर्माण कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ ।

राजस्थान शब्द का अर्थ :- राजाओं का स्थान

(ख) राजस्थान शब्द का उल्लेख :-

- राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थानी-दित्य विक्रम संवत 625 ई. में उत्कीर्ण बसंतगढ़ (सिरोही जिला) के शिलालेख में मिलता है।
- मारवाड़ इतिहास के प्रसिद्ध लेखक **"मुहणोत नैणसी"** ने भी अपनी पुस्तक "नैणसी री ख्यात" में भी **राजस्थान शब्द का प्रयोग** किया है, लेकिन इस पुस्तक में यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता।
- महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र के लिए **"मरुकान्तार"** शब्द का उल्लेख किया है ।
- **जॉर्ज थॉमस** पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सन् 1800 ई. में इस भौगोलिक क्षेत्र को **"राजपूताना"** शब्द कहकर पुकारा था । इस तथ्य का वर्णन विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक **"मिलिट्री मेमोरीज ऑफ़ मिस्टर थॉमस"** में किया है ।

जॉर्ज थॉमस का परिचय :-

- जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड के सैनिक थे, जो कि 18 वीं. सदी में भारत आए और 1798 से 1801 तक भारत में एक छोटे से क्षेत्र (हिसार-हरियाणा) के राजा रहे ।
- इन्होंने राजस्थान **को "राजपूताना"** शब्द इसलिए कहा क्योंकि मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजवंशों का शासन् था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को **"राजपूताना"** कहा जाता था।

विलियम फ्रैंकलिन :-

- विलियम फ्रैंकलीन मूल रूप से लंदन के निवासी थे। यह जॉर्ज थॉमस के घनिष्ट मित्र थे । उन्होंने 1805 ई. में जॉर्ज थॉमस के ऊपर "A Military Memories of mr. George Thomas" नामक पुस्तक लिखी थी।
- अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन इतिहासकार "अबुल फजल" ने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए "मरुभूमि" शब्द का प्रयोग किया है।
- 1829 ईस्वी में **"कर्नल जेम्स टॉड"** ने अपनी पुस्तक **"एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान"** में सर्वप्रथम इस भू-भाग को **राजस्थान, रायथान एवं रजवाड़ा**" नाम दिया था ।

कर्नल जेम्स टॉड :-

- कर्नल जेम्स टॉड 1818 से 1822 के मध्य मेवाड़ (उदयपुर) प्रांत में एक पॉलिटिकल (राजनीतिक) एजेंट थे तथा कुछ समय तक मारवाड़ रियासत के ब्रिटिश एजेंट भी रहे ।
- कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटेन के मूल निवासी थे, उन्होंने अपने घोड़े पर घूम-घूम कर राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य किया इसलिए इन्हें **घोड़े वाले बाबा** के नाम से भी जाना जाता है।
- कर्नल जेम्स टॉड को **"राजस्थान के इतिहास का पितामह"** कहा जाता है।
- कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान" को "सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया" के नामक से भी जानते हैं
- इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार "गौरीशंकर –हीराचंद ओझा" ने किया था। इसे हिंदी में "प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण" कहते है।
- कर्नल टॉड सर्वेक्षण के सिलसिले में अजमेर और उदयपुर में कई जगह पर रहे थे- उनमें भीम नामक कस्बे में छोटा सा गाँव बोरसवाड़ा भी था- जो जंगलों और अरावली-पहाड़ों से घिरा हुआ है।
- उन्हें यह जगह पसंद आई तो उदयपुर के महाराजा भीम सिंह की सहमति से स्वयं के लिए बोरसवाड़ा में एक छोटा सा किला बनवा लिया।
- महाराज भीम सिंह ने कर्नल की सेवाओं से प्रभावित होकर गाँव का नाम टॉडगढ़ रख दिया, जो कालान्तर में टाडगढ़ कहलाने लगा। टाडगढ़ आज अजमेर जिले की एक तहसील का मुख्यालय है।
- कर्नल टॉड के किले में वर्तमान में सरकारी स्कूल चलता है ।
- राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण (30 मार्च 1949) को वृहद राजस्थान संघ में अधिकांश रियासतों के विलय हो जाने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं।
- राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम का दर्जा - 26 जनवरी 1950 (P. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर)
- राजस्थान का वर्तमान स्वरूप **(1 नवम्बरः 1956)** को अस्तित्व में आया ।

  - (1 नवम्बर 1956) को राजस्थान में 26 जिले थे
  - (5) संभाग

  1. जयपुर संभाग
  2. जोधपुर संभाग
  3. बीकानेर संभाग
  4. उदयपुर संभाग
  5. कोटा संभाग

  आज / वर्तमान राजस्थान में 41 जिले एवं 7 संभाग है।

- **26 वाँ जिला** – अजमेर - 1 नवम्बर, 1956
- **27 वाँ जिला** – धौलपुर - 15 अप्रैल, 1982, यह भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना।
- **28 वाँ जिला**- बारां - 10 अप्रैल, 1991, यह कोटा से अलग हो कर नया जिला बना।
- **29 वाँ जिला** – दौसा - 10 अप्रैल, 1991, यह जयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- ***30 वाँ जिला राजसंमद*** – 10 अप्रैल, 1991, यह उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना।
- ***31 वाँ जिला*** – हनुमानगढ़ - 12 जुलाई, 1994, यह श्रीगंगानगर से अलग होकर नया जिला बना।
- ***32 वाँ जिला करौली*** 19 जुलाई, 1997, यह सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना।
- ***33 वाँ जिला – प्रतापगढ़ - 26 जनवरी, 2008,***
- प्रतापगढ़ जिला तीन जिलों से अलग होकर नया जिला बना।

- ✓ ***चित्तौड़गढ़*** - छोटीसादड़ी, आरनोद, प्रतापगढ़ तहसील
- ✓ ***उदयपुर*** - धारियाबाद तहसील
- ✓ ***बाँसवाड़ा***- पीपलखूंट तहसील
- ✓ प्रतापगढ़ जिला परमेश चन्द कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया ।
- ✓ प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल, 2008 से शुरू किया।
- ✓ ***प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल व देवला / देवलीया के नाम से*** जाना जाता था।

नए जिलों का निर्माण (34 to 50)

- निर्माण की घोषणा बजट 2022-23
- समिति रामलुभाया
- रामलुभाया समिति की सिफारिश पर घोषणा 17 मार्च 2023 (19 जिले एवं 3 संभाग)

- ***रामलुभाया समिति*** के सुझावों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 और नए जिलें बनानें की घोषणा की इसके साथ ही राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गयी तथा 3 नये संभाग बनाये गए जिससे संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गयी।

3 नए संभाग इस प्रकार है-

- बांसवाड़ा, पाली व सीकर
- अधिसूचना 5 अगस्त 2023
- प्रकाशित 6 अगस्त 2023
- लागू 7 अगस्त 2023

- ***19 नए जिले निम्नलिखित हैं-***

1. अनुपगढ 2. फलौदी 3. जोधपुर ग्रामीण 4. जोधपुर शहरी 5. बालोतरा 6. सांचौर 7. सलुम्बर 8. शाहपुरा 9. डीडवाना-कुचामन 10. नीम का थाना 11. कोटपुतली-बहरोड़ 12. खैरथल-तिजारा 13. डीग 14. जयपुर शहर 15. जयपुर ग्रामीण 16. गंगापुर सिटी 17. दुदू 18. ब्यावर 19. केकड़ी

वर्तमान स्थिति –

- नए जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में समिति का गठन –
- ✓ गहलोत सरकार में बने 19 जिले और 3 संभागो के फैसले पर मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन पर आईएस ललित के. पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया
- ✓ भजनलाल सरकार ने 12 जून को नये जिलों के रिव्यू के लिए केबिनेट सब-कमेटी बनायीं जिसमें –
  अध्यक्ष - डॉ प्रेम चंद बैरवा (मदन दिलावर बाद में अध्यक्ष बनाये गए)

अन्य सदस्य –

1. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (उद्योग मंत्री) 3. हेमंत मीणा (राजस्व मंत्री)
2. कन्हैयालाल चौधरी (PHED मंत्री) 4. सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री)

- 28 दिसंबर 2024 को मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक में 9 जिलों और 3 संभागो को निरस्त करने की घोषणा की
- 29 दिसम्बर 2024 को जारी अधिसुचना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग है ।
- यथावत रखे जिले –

1. बालोतरा
2. ब्यावर
3. डीग
4. डीडवाना-कुचामन
5. खैरथल-तिजारा
6. कोटपुतली-बहरोड़
7. फलौदी
8. सलुम्बर

निरस्त किए गए जिले:

- अनूपगढ़
- जयपुर ग्रामीण
- जोधपुर ग्रामीण
- दुदू
- केकड़ी
- नीम का थाना
- गंगापुर सिटी
- सांचौर
- शाहपुरा

निरस्त किए गए संभाग:

- बांसवाड़ा
- पाली
- सीकर

वर्तमान राजस्थान में 41 जिले एवं 7 संभाग है ।

राजस्थान के 41 जिले

1. श्रीगंगानगर 2. हनुमानगढ़ 3. बीकानेर 4. चूरू 5. जोधपुर 6. जैसलमेर 7. फलौदी 8. बाड़मेर 9. जालौर 10. सिरोही,

11. पाली 12. उदयपुर 13. डूंगरपुर 14. बाँसवाड़ा 15. प्रतापगढ़ 16. भीलवाड़ा 17. राजसमन्द 18. अजमेर 19. चित्तौड़गढ़ 20. कोटा,
21. बूंदी 22. बारां 23. झालावाड़ 24. करौली 25. सवाई माधोपुर 26. टोंक 27. भरतपुर 28. अलवर 29. नागौर 30. ब्यावर,
31. बालोतरा 32. डीग 33. डीडवाना-कुचामन 34. खैरथल-तिजारा (नया नाम – भर्तृहरि नगर) 35. कोटपुतली बहरोड़, 36. सलुम्बर 37. जयपुर 38. सीकर 39. झुंझुनू 40. धौलपुर 41. दौसा

बालोतरा -

- बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला बालोतरा गठित किया गया है ।
- इस जिले में 9 तहसील (पचपदरा, कल्याणपुर, पाटोदी, सिवाना, समदड़ी, गिड़ा, सिणधरी, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी) हैं।

डीडवाना-कुचामन -

- नागौर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनूं, परबतसर, मकराना, नावां, कुचामनसिटी) हैं।

डीग -

- भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीग गठित किया गया है।
- इस जिले में 9 तहसील (डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामां, जुरहरा, पहाड़ी) हैं।

फलौदी :

- जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला फलौदी गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (फलौदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घंटियाली, बापिणी) हैं।
- इसमें जैसलमेर जिले की नोख तहसील का कुछ क्षेत्र शामिल किया गया है।

कोटपूतली-बहरोड़

- **जिला मुख्यालय** - कोटपूतली-बहरोड़
- जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला कोटपूतली- बहरोड़ गठित किया गया है ।

राज्य के प्रमुख पर्वत, पठार एवं पहाड़ियाँ का नाम एवं उनके बारे में विशेष विवरण –

- **त्रिकुट की पहाड़ियाँ – जैसलमेर दुर्ग** इसी पहाड़ी में बना हुआ है
- **त्रिकूट पर्वत – करौली जिले** में स्थित है। इस पर्वत पर **प्रसिद्ध कैलादेवी मंदिर** स्थित है।
- **बरवाड़ा की पहाड़ियाँ** – यह पहाड़ियां जयपुर जिले में स्थित है जबकि चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर जिले की तहसील है, जहाँ पर चोरों की रक्षक देवी चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है।
- **भामती की पहाड़ी** – यह बारां जिले में स्थित है शाहाबाद दुर्ग भी इसी पहाड़ी पर स्थित है
- **सारण की पहाड़ियाँ** - यह पाली जिले में स्थित हैं इन पहाड़ियों **पर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा मारवाड़ का प्रताप / प्रताप** का **अग्रगामी राव चंद्रसेन की छतरी** बनी है।
- **नैंनी की पहाड़ी**- भरतपुर जिले में स्थित इन पहाड़ियों पर प्रसिद्ध **बयाना दुर्ग** स्थित है।
- **नानी सिरडी की पहाड़ी** – यह पहाड़ियाँ राज्य के पाली जिले में स्थित है इन पर **सोजत का किला** स्थित है।
- **तारागढ़ की पहाड़ियाँ** – यह पहाड़ियाँ अजमेर जिले में स्थित हैं इन की ऊँचाई 870 मीटर है
- **तारागढ़ पर्वत** – यह पर्वत राज्य के बूंदी जिले में स्थित है।
- **देशहरो – जरगा तथा पहाड़ियों के मध्य हरियाली युक्त क्षेत्र को** देशहरो क्षेत्र कहते हैं
- **ऊपरमाल की पहाड़ियाँ** – बिजोलिया से भैंसरोड़गढ़ तक की क्षेत्र को ऊपरमाल की पहाड़ियाँ कहा जाता है देवगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध **छाजला आकार का दौसा दुर्ग स्थित है।**
- **हर्ष की पहाड़ियाँ** – हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों पर प्रसिद्ध जीणमाता का मंदिर है।
- **उड़िया का पठार** - राज्य के सिरोही जिले में स्थित है **यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊँचाई 1360 मीटर है,** जो गुरुशिखर के नीचे स्थित है।
- **मामा भांजे की डूंगरी** – यह दौसा की लालसोट तहसील में स्थित है।
- **भाकर** - सिरोही जिले में स्थित कटी -फटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं।
- **गिरवा** - उदयपुर जिले में तश्तरीनुमा क्षेत्र जिस पर उदयपुर बसा हुआ है।
- **पंचेटिया या चिड़िया टूक** – जोधपुर जिले में स्थित जिस पर **मेहरानगढ़ दुर्ग** स्थित है
- **भोराठ का पठार** - गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी भाग। यह पठार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जलप्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी ऊँचाई 1225 मीटर है। यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है।
- **भोमट** – मेवाड़ का दक्षिणी - पश्चिमी भाग जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर तथा सिरोही का पूर्वी भाग शामिल है।
- **बिजासन की पहाड़ी** – भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र
- **कालीखोह पर्वत श्रृंखला** – जयपुर से आगरा तक विस्तृत
- **मानदेसरा का पठार** – इस पठार पर चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य स्थित है।
- **मेसा का पठार** – इस पठार की ऊँचाई 620 मीटर है। यह पठार चित्तौड़गढ़ जिलें में स्थित है। इस पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है।
- **क्रासका का पठार व कांकनबाड़ी का पठार – यह** पठार अलवर जिले में स्थित है। इन दोनों पठारों पर सरिस्का अभयारण्य स्थित है।
- **पोतवार का पठार – अलवर**
- **उपरमाल का पठार – भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) से बिजोलिया (भीलवाड़ा) के मध्य।**
- **लसाडिया का पठार** – सलुम्बर (जयसमन्द झील के पूर्व में)

3. पूर्वी मैदानी भाग

- यह प्रदेश प्राचीन टेथिस सागर के अवशेष से विकसित हुआ है।
- इसका निर्माण प्लिस्टोसिन काल में हुआ है।
- यह नवीनतम भौतिक प्रदेश माना जाता है।
- इसका निर्माण नदीय अवसादों के जमाव तथा जलोढ़ प्रक्रियाओं के कारण हुआ है।
- राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के पूर्व में नदियों के प्रवाह वाला क्षेत्र है।
- जब नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती हैं तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर, इत्यादि लेकर जाती है और धीमी प्रभाव वाले क्षेत्र में जमा कर देती हैं और इसी प्रकार इन सभी से मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है।
- **पूर्वी मैदानी भाग भारत के भू-आकृति प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का भाग है।**
- **अरावली के पूर्व में नदियों के प्रवाह के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग को "पूर्वी मैदानी भाग" के नाम** से जाना जाता है इसलिए इस क्षेत्र में **दोमट / जलोढ़ / कछारी मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है।**

इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राज्य के निम्नलिखित जिले आते हैं -

जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर।

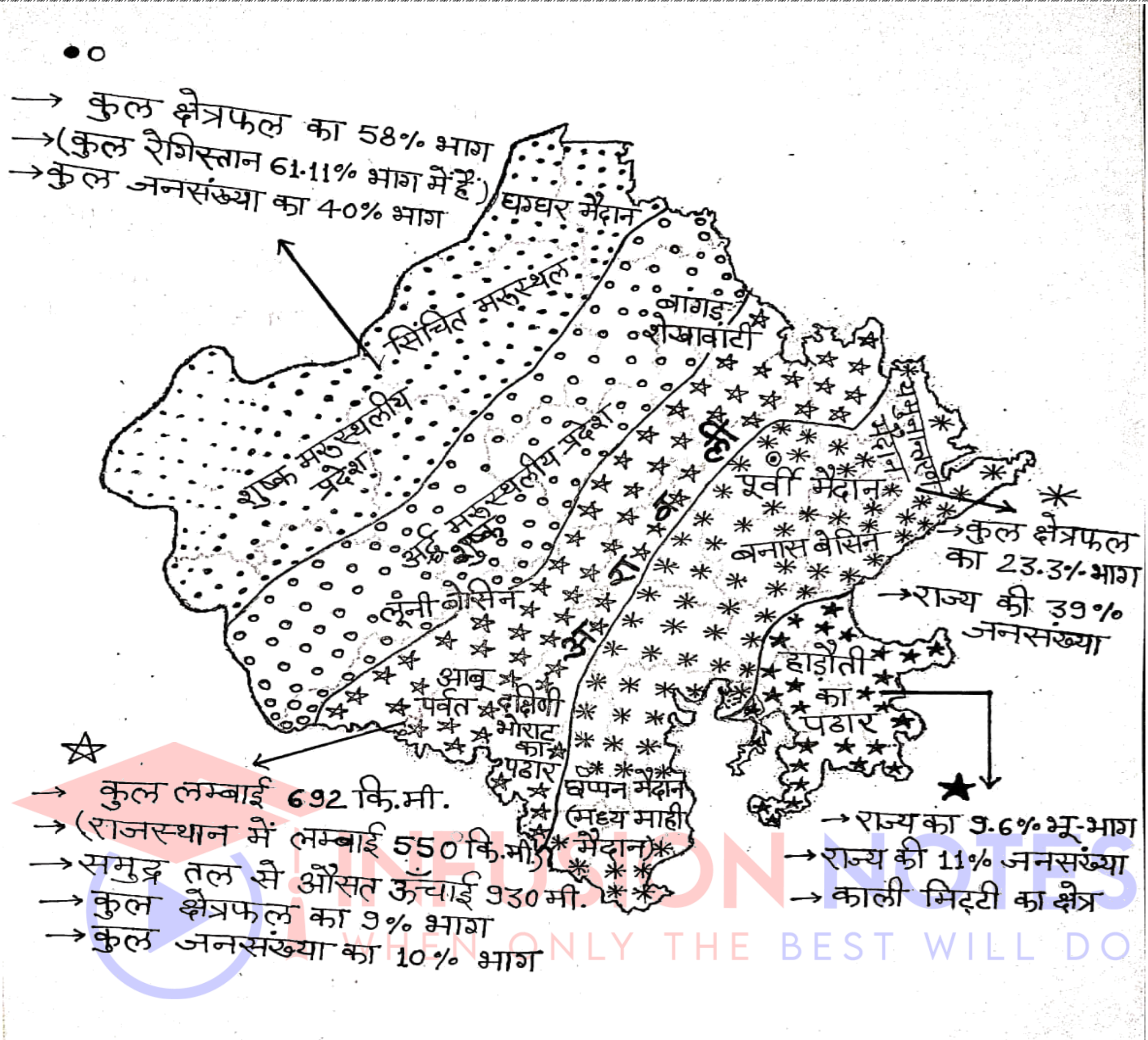

- ***पूर्वी मैदानी भाग*** *राज्य के कुल हिस्से का **23.3% भाग** बनाता है अर्थात् कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के **23.3%** हिस्से पर पूर्वी मैदानी भाग है जिस पर राज्य की **कुल जनसंख्या का 39% हिस्सा निवास करता है।***
- *चूंकि **जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ** होती है इसलिए पूर्वी मैदानी भाग में निवास करने वाली 39% जनसंख्या में से अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस क्षेत्र में **50 सेमी० से 80 सेमी० मीटर तक वर्षा** होती है।*
- *इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु तथा जलोढ़ दोमट मिट्टी के कारण सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है, इस कारण इस प्रदेश को **खाद्यान्न का कटोरा** कहा जाता है।*

<u>अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदानी भागों को तीन उप भागों में बाँटा गया है।</u>

1. *चम्बल बेसिन **(चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र)** –*
2. *बनास- बाणगंगा बेसिन (**बनास-**बाणगंगा **नदी का प्रवाह क्षेत्र)***
3. *माही बेसिन **(माही नदी का प्रवाह क्षेत्र)***

1. ***<u>चंबल बेसिन –</u>*** *चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। इस प्रवाहित क्षेत्र को चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में चंबल व सहायक नदियाँ बहती है।*

नोट :- भारत में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति व उबड़ खाबड़ भूमि चंबल नदी के आस-पास मिलती है। *उत्खात स्थलाकृति से आशय ऐसी भूमि से है **जो कृषि योग्य नहीं है।***

इसी क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं।

- ✓ ***बीहड़ –*** *नदियों के प्रभाव से मिट्टी का कटाव होने से बनी मिट्टी की कटी-फटी गहरी घाटियों को भी बीहड़ कहा जाता है। **बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है।***
- ✓ ***बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व धौलपुर में है।***
- ✓ *बीहड़ को डाकुओं की शरणस्थली भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश **डाकू बीहड़** क्षेत्र में निवास करते थे।*
- ✓ *5 मीटर से 30 मीटर गहरे गढ्ढे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है तथा **कृषि अयोग्य भूमि को स्थानीय भाषा में "डांग" कहा जाता है।***

4. **गंभीरी नदी -**
- **यह मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले के जावद की पहाड़ियों से निकलती है।** यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च में जाकर विलीन हो जाती है। इसे चित्तौड़गढ़ की गंगा भी कहा जाता है।

5. **खारी नदी -**
- इस नदी का **उद्गम स्थल राजसमंद जिले में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से** होता है।
- यह नदी अजमेर तथा उदयपुर की सीमा निर्धारित करती है।
- यहाँ ओझियाणा की सभ्यता विकसित हुई थी आगे चल कर यह नदी टोंक जिले के राजमहल नामक स्थान पर **बनास में जाकर मिल जाती है।**

6. **कोठारी नदी -**
- इस नदी का **उद्गम राजसमंद जिले के दिवेर नामक स्थान से** होता है तथा भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में जाकर मिल जाती है।
- इस नदी पर **मेज बाँध** बनाया गया है जो भीलवाड़ा जिले को पेयजल उपलब्ध करवाता है।
- भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई।
- **अपवाह क्षेत्र -** राजसमन्द, भीलवाड़ा, ब्यावर, राजमहल (टोंक)

7. **मांसी नदी -** इस नदी का **उद्गम अजमेर (किशनगढ़) जिले** से होता है यह नदी टोंक जिले में बीसलपुर के समीप बनास नदी में विलीन हो जाती है।

8. **डाई नदी -** इस नदी का **उद्गम अजमेर जिले के किशनगढ़ (नसीराबाद) के मध्य स्थित पहाड़ियों** से होता है यह नदी टोंक जिले में राजमहल कस्बे के समीप बनास में जाकर मिल जाती है यह भी बनास की एक सहायक नदी है।

9. **मानसी नदी -** इस नदी का **उद्गम भीलवाड़ा जिले में करणगढ़ की पहाड़ियों से** होता है यह नदी भीलवाड़ा जिले में बनास में जाकर मिल जाती है।

10. **बांडी नदी -** इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित सामोद की पहाड़ियों से होता है यह नदी माशी नदी में विलीन हो जाती है।

11. **ढूंढ नदी -** इस नदी का **उद्गम जयपुर जिले में स्थित अचरोल की पहाड़ियों से** होता है यह नदी जयपुर तथा दौसा जिले में बहती हुई दौसा जिले के लालसोट तहसील के समीप मोरेल नदी में मिल जाती है।

12. **पार्वती :-**
- **उद्गम :- मध्यप्रदेश में विंध्याचल पर्वत के "सीहोर" नामक स्थान से** निकलती है।
- **राजस्थान में प्रवेश :-** करयाहट के निकट बारां जिले के छतरपुरा गाँव में।
- **बहाव क्षेत्र:-** बारां तथा कोटा जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है।
- **सहायक नदियाँ -** अहेरी, अँधेरी, रेतड़ी, बिलास, लासी, बरनी, बैन्थली, दुबराज।

13. **कालीसिंध :-**
- **उद्गम :- मध्यप्रदेश में देवास के निकट बागली की पहाड़ियों से** निकलती है।
- **राजस्थान में प्रवेश :-** रायपुर गाँव झालावाड़ जिले में।
- **बहाव क्षेत्र :-** झालावाड़ तथा कोटा एवं बारां जिले की सीमा पर बहती हुई कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है।
- **सहायक नदियाँ :- आहू, परवन, निवाज (निमाज), उजाड़।**

14. **आहू :-**
- **उद्गम:- मध्यप्रदेश में सुसनेर के** निकट से निकलती है।
- **राजस्थान में प्रवेश :-** नंदपुर गाँव झालावाड़ जिले में
- **बहाव क्षेत्र :-** झालावाड़, कोटा की सीमा के पास से बहती हुई झालावाड़ जिले के गागरोन में कालीसिंध से मिल जाती है। झालरापाटन (झालावाड़) तथा रामगंज मंडी (कोटा) की सीमा बनाती है।
- **विशेष :- कालीसिंध तथा आहू नदी के संगम पर राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन दुर्ग बना** हुआ है।

15. **कांकुड नदी :-**
- यह एक छोटी नदी है जो बयाना तहसील के दक्षिणी-पश्चिमी सीमा से भरतपुर जिले में प्रवेश करती है।
- इस नदी का जल **बारेठा बाँध** में एकत्रित किया जाता है।
- इस जल का उपयोग बयाना और रूपवास तहसील में सिंचाई के लिए किया जाता है।
- यह नदी मुख्यत: पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और अनेक जल प्रपातों का निर्माण करती है।
- दर नामक जलप्रपात इसका एक प्रसिद्ध जलप्रपात है।
- इसका पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस नदी के किनारे चैनपुरा और बारेठ नामक गाँव स्थित हैं।

16. **मेनाली :-** यह छोटी नदी है जो **भीलवाड़ा मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और बिगोद के पास बेड़च नदी के साथ बनास नदी में मिल जाती है।** स्थानीय लोगों में यह स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है।

17. **मांगली नदी :-**
- मांगली नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा है।
- यह बूंदी जिले के तालेरा तहसील की एक महत्त्वपूर्ण नदी है और यह मेज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- यह नदी बाइन्स खेरा के निकट मेज नदी से मिल जाती है।

18. **घोड़ा पछाड़ नदी :-**
- यह नदी बिजोलिया झील से निकलती है और उत्तर-पूर्व में तालेरा तहसील में प्रवाहित होती है।

- अंत में यह संगवाडा के निकट मांगली नदी से मिल जाती है।
- यहाँ इस नदी पर गारदाधा नामक स्थान पर एक छोटा बाँध बनाया गया है ।

19. **चूहड़ सिद्ध** :- यह नदी अलवर की चूहड़ सिद्ध पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर पीपरोली तक प्रवाहित होती है ।
- प्रारंभ में यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है फिर शेखपुर के निकट पूर्व की ओर मुड़ती हुई दिल्ली अलवर रोड को पार करती है और अंततः शेखरपुरी के निकट हरियाणा के गुड़गाँव जिले में प्रवेश कर जाती है।
- होलानी, जिलोली, स्माइलपुर और बिलासपुर आदि इस की सहायक नदियाँ है।

20. **परवन नदी** :- यह क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण नदी है वास्तव में यह अजनार और घोड़ा पछाड़ नामक नदी की एक संयुक्त धारा है, जो मध्यप्रदेश राज्य से निकलती है और उत्तर में प्रवाहित होने के पश्चात् राजस्थान में खरीबोर गाँव मनोहर थाना नामक कस्बे के निकट घूमती है।
- इस कस्बे के उत्तर में यह नदी कालिका नामक नदी से मिल जाती है ।
- मनोहर थाना तहसील में यह नदी लगभग 17 मील बहती है और इसके पश्चात् पश्चिम में दिशा में अकलेरा तहसील की सीमा पर बहती हुई उत्तर दिशा में मुड़ जाती है फिर कानपुर तहसील की 8 मील सीमा पर बहती हुई कोटा जिले में प्रवेश कर जाती है ।
- अंत में रामगढ कोटा में यह **कालीसिंध में मिल जाती है । बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण इसी नदी के पास है ।**
- बारां जिले में इस नदी पर परवन परियोजना शुरू की गयी है।
- सहायक नदियाँ – धार, छापी, घोड़ा पछाड़, निमाज

21. **सोहद्रा** :-
- यह एक महत्त्वपूर्ण नदी है जो कि टोरड़ी सागर बाँध को भरती है ।
- यह नदी अजमेर जिले के दक्षिण में 13 किलोमीटर की दूरी पर अराय गाँव से निकलती है ।
- ढूंढिया गाँव (टोंक जिला) के निकट यह मानसी में मिल जाती है, तत्पश्चात् गलोद गाँव पर माशी के साथ संयुक्त रूप से बनास नदी में मिल जाती है ।
- जिले के अंतर्गत इसका बहाव लगभग 75 किलोमीटर में क्षेत्रों में है ।
- अन्य छोटी नदियाँ खारी व डाई हैं जो अजमेर की ओर बहती है और बनास नदी में मिल जाती हैं, पहली नेगड़िया के पास व दूसरी बीसलपुर पर बांडी जयपुर जिले की चाकसू तहसील से निकलती है और चतरपुरा के निकट मानसी में मिल जाती है।

22. **रेवा नदी** :-
- यह नदी मध्यप्रदेश राज्य के भानपुरा तहसील की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम में प्रवाहित होती हुई बुद्ध नगर के निकट झालावाड़ जिले के पचपहाड़ तहसील में प्रवेश करती है ।
- अंत में यह नदी भीलवाड़ा गाँव के निकट आहू से मिल जाती है ।

23. **गुंजाली** :-
- यह एक सहायक नदी है जो चंबल में मिल जाती है।
- इसका उद्गम मध्यप्रदेश में जाट गाँव के पास से है।
- दौलतपुर गाँव के निकट के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बहती है ।
- चित्तौड़गढ़ जिले में यह मोरेन, अमरगंज व कुआँखेड़ा गाँव से होकर निकलती है ।
- अंततः अरनिया गाँव के पास यह **चंबल नदी में मिल** जाती है।

24. **चंद्रभागा नदी** :-
- यह छोटी नदी है जो सेमली नामक गाँव के निकट से निकलती है।
- इसके पश्चात् यह झालरापाटन तहसील में केवल 7 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और खंडियाँ गाँव के निकट कालीसिंध में मिल जाती है ।
- कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झालरापाटन कस्बे के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर स्नान के लिए हजारों व्यक्ति एकत्रित होते हैं ।

अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ –

1. **लूनी नदी** –
- इस नदी का **उद्गम स्थल अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी है ।**
- पुष्कर से गोविंदगढ़ (अजमेर) तक इसे साक्री के नाम से जाना जाता है।
- **अजमेर में इसे सागरमती, या सरस्वती कहा जाता है, आगे चल कर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है।**
- यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी है ।
- इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे – **मारवाड़ की जीवनरेखा, मरुस्थल की गंगा,** आधी खारी आधी मीठी नदी, अंतः सलिला (जो कि कालिदास ने दिया था), **रेल या नाडा (जालौर में जाना जाता है)।**
- राजस्थान में इसकी कुल लम्बाई लगभग 320 किलोमीटर है।
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है जो कि पूर्णतया बरसाती नदी है। इसका जल **बालोतरा तक मीठा तथा बाद में खारा हो जाता है** इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है।
- इसकी **सहायक नदियाँ** निम्न प्रकार है - **सूकड़ी, जवाई, सगाई, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सागी इत्यादि ।**

- इसका अपवाह **क्षेत्र** अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर जिले में है । जालौर जिले में लूनी नदी के तेज प्रवाह के कारण इसे रेल या नाड़ा कहा जाता है ।
- लूणी नदी के किनारे सरदारसमंद परियोजना है।
- हल्दीघाटी के युद्ध की योजना अकबर ने इसी नदी के तट पर बनाई थी ।
- लूनी एवं बनास राज्य की ऐसी नदियाँ है जो अरावली पर्वतमाला को मध्य में से विभाजित करती है ।
- **लूनी नदी से जोधपुर की जसवंत सागर बाँध को पानी की आपूर्ति होती है**
- लूनी नदी में दाईं ओर से केवल जोजड़ी नदी मिलती है इसका उद्गम नागौर के पोंडलू गाँव की पहाड़ियों से होता है।
- यह नदी अंत में जालौर में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और फिर **कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।**
- बालोतरा जिला लूनी नदी के दाये किनारे स्थित है।

2. माही नदी

- **इस नदी को दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा,** दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा आदिवासियों की जीवन रेखा कहा जाता है।
- **इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला के मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट अमरोरु की पहाड़ियों में स्थित "मेहद झील" से होता है।**
- यह राजस्थान में बाँसवाड़ा के खांदू नामक स्थान के पास प्रवेश करती है तथा बाँसवाड़ा - डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात में पंच महल जिले में रामपुर के पास प्रवेश करती है।
- **माही नदी पर कड़ाना बाँध स्थित** है । यह नदी आगे चल कर **खंभात की खाड़ी में गिरती है।**
- **इसके प्रवाह क्षेत्र को "छप्पन का मैदान"** भी कहा जाता है इस नदी की कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है तथा केवल राजस्थान में यह 171 किलोमीटर लंबी है।
- **डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर के निकट माही नदी, सोम नदी एवं जाखम नदी का संगम है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है** इसी पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसी स्थान पर संत मावजी द्वारा स्थापित किया गया एक शिवलिंग है यह विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है।
- **इसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन है**
- **बाँसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गाँव में के पास माही बजाज सागर बाँध बना हुआ है ।**
- **सुजलाम सुफलाम का संबंध माही नदी से** है।
- माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में औदिच्य ब्राह्मणों की पीठ स्थित है।
- माही नदी डूंगरपुर, बाँसवाड़ा जिले की सीमा निर्धारित करती है माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले के गलिया कोट नामक स्थान पर बोहरा संप्रदाय की पीठ एवं सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है।
- **माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45% तथा गुजरात का हिस्सा 55% है।**

> माही नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम दक्षिण से होता है तथा उत्तर में बहने के बाद वापस यह दक्षिण की ओर चली जाती है अर्थात् यह नदी उल्टे "U" के आकार में प्रवाहित होती है और इसी कारण **यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है ।**

3. साबरमती नदी

- गांधीनगर शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी का **उद्गम उदयपुर जिले में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से पदारला गाँव के (ढेबर झील) से होता है।**
- साबरमती नदी की कुल लंबाई लगभग 416 किलोमीटर है यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर तथा गुजरात में लगभग 371 किलोमीटर बहती है ।
- **यह राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है** तथा आगे चल कर गुजरात की प्रमुख नदी बन जाती है ।
- इसकी सहायक नदियाँ **बाकल, हथमति मेशवा, बेतरक और माजम है जो सभी डूंगरपुर या उदयपुर से निकलती हैं।**
- इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है।
- **साबरमती नदी का जल उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण** किया गया है ।
- इस लंबी सुरंग का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है इस सुरंग की लंबाई 11.5 किलोमीटर है।

4. जवाई नदी - इस नदी का बाली (पाली) के गोरिया गाँव में उद्गम स्थल है यह पाली व जालौर में बहकर बाड़मेर में गुढ़ामलानी तहसील के गांधव कला गाव में लूनी नदी में मिल जाती है सुमेरपुर (पाली) के निकट इस नदी पर **जवाई बाँध बना हुआ है**

5. अनास नदी - इस नदी का **उद्गम मध्यप्रदेश राज्य से** होता है और बाँसवाड़ा जिले में प्रवेश करने के पश्चात् यह प्रारंभ में उत्तरी दिशा की ओर और उस के पश्चात् पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए माही नदी में मिल जाती है इसलिए नदी की प्रमुख सहायक नदी "हरन या हिरन" है

6. जोजड़ी या जोजरी नदी -

- यह नदी जोधपुर जिले की महत्त्वपूर्ण नदी है इसका **उद्गम नागौर के दक्षिण भाग से** होता है।

खारे पानी की झीलें

1. सांभर झील

- राजस्थान के जयपुर – फुलेरा मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। (1. चिल्का 2. पुलीकट)
- इस झील का विस्तार 3 जिलों में है – **जयपुर, अजमेर और डीडवाना-कुचामन,** लेकिन सर्वाधिक विस्तार जयपुर जिले में है ।
- इस झील की लंबाई दक्षिण - पूर्व से उत्तर - पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर है इसका कुल अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है।
- **सांभर झील में मेंथा नदी (सर्वाधिक लवणता लाती है), रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी आकर मिलती हैं। इस झील पर भारत सरकार की "हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी" द्वारा नमक उत्पादन कार्य किया** जा रहा है ।
- हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ई. में की गयी। इस झील में प्रति 4 मीटर की गहराई पर 350 लाख टन नमक उत्पादन होता है जो **भारत के कुल उत्पादन का 8.9% सांभर झील** से ही उत्पादित होता है।
- इसे 1990 ई. में रामसर साईट में शामिल किया गया। इस झील में **'क्यारी पद्वति'** द्वारा किया जाता है। सांभर झील में सर्दियों में फ्लेमिन्गोल (राजहंस) पक्षी उत्तरी एशिया से बड़ी संख्या में आते हैं।

इस झील से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य –
- **सांभर झील "स्पाईरुबीना" नामक शैवालों के लिए प्रसिद्ध है ।** इस शैवाल से 60% प्रोटीन प्राप्त होता है।
- यह झील अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के लिए भी जानी जाती है जैसे -
- तीर्थ स्थली देव्यानी अर्थात् **तीर्थों की नानी**
- शाकंभरी माता का मंदिर
- संत हमीदुद्दीन की पुण्य भूमि
- जहाँगीर की ननिहाल
- अकबर की विवाह स्थली
- चौहानों की राजधानी

- ऐसा माना जाता है कि **इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान द्वारा** करवाया गया था।
- इस झील का आकार आयताकार है इस झील पर सन् 1857 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित सांभर साल्ट म्यूजियम स्थित है।
- **पर्यटन** के **क्षेत्र** में **रामसर साइट** के नाम से भी इसे जाना जाता है।

2. पचपदरा झील

- ऐसा माना जाता है कि 400 ईसा पूर्व पंचा नामक एक भील व्यक्ति के द्वारा एक दलदल को सुखाकर इस झील के आसपास की बस्तियों का निर्माण करवाया गया था इसलिए इस झील को पचपदरा झील कहते हैं
- यह झील राजस्थान **राज्य के बालोतरा जिलें में स्थित है।**
- इस झील में कुए बनाकर नमक उत्पादन किया जाता है। इन कुओं को **कोषियाँ** तथा इन कुओं से उत्पादित नमक को **कोशलू** कहा जाता है।
- इस झील से प्राचीन समय से ही **खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों से भी नमक के (क्रिस्टल) स्फटिक तैयार** करते थे।
- **इस झील में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है इस झील का नमक खाने के लिए सबसे उपयुक्त है।**

3. डीड़वाना झील –

- यह झील **डीड़वाना-कुचामन जिले** में स्थित है।
- यहाँ निजी संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। इन संस्थाओं को देवल कहा है।
- डीड़वाना में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है । **इस नमक ब्राइन नमक** कहा जाता है। इस झील से प्राप्त नमक **खाने योग्य नहीं** है।
- इस झील में राजस्थान सरकार द्वारा **राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक दो उद्योग** स्थापित किए गए हैं जो **कृत्रिम रूप से कागज के उत्पादन का निर्माण करते हैं ।** इसके अलावा इस नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग में भी होता है।
- कृत्रिम रूप से कागज का उत्पादन करने के लिए **सोडियम सल्फेट का निर्माण इसी झील के** द्वारा किया जाता है।
- इस झील का क्षेत्रफल 4 वर्ग किलो मीटर है।
- यहाँ का नमक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है।
- Na_2SO_4 वाले नमक का उपयोग चमड़ा साफ करने में, कागज गलाने में किया जाता है |

4. नावां झील

- यह झील डीडवाना-कुचामन में स्थित है।
- इस झील में भारत सरकार का **'आदर्श लवण फार्म (मॉडल साल्ट फार्म)'** विकसित किया गया है।

5. लूणकरणसर झील

- यह झील राजस्थान के **बीकानेर जिले में** स्थित अत्यंत छोटी झील है।
- छोटी होने के कारण यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में निकलने वाले नमक से स्थानीय लोगों को ही आपूर्ति हो पाती है।
- **लूणकरणसर "मूंगफली"** के लिए प्रसिद्ध होने के कारण **"राजस्थान का राजकोट"**कहलाता है।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

1. शुष्क जलवायु प्रदेश -

- क्षेत्र - **जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, फलौदी, श्री गंगानगर जिला का दक्षिणी भाग।**
- वर्षा – 0 से 20 सेमी.,
- तापमान - 30 डिग्री से अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक (गर्मियों में)
- 12 डिग्री से अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस तक (सर्दियों में)
- इस जलवायु प्रदेश में एंटीसोल मृदा तथा मरुद्भिद (जीरोफाइट) प्रकार की वनस्पति पायी जाती है।

2. अर्द्ध शुष्क / स्टेपी जलवायु प्रदेश -

- **क्षेत्र –** श्रीगंगानगर का उत्तरी भाग, पूर्वी बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, जोधपुर, जालौर, बालोतरा और उत्तरी भाग को छोड़कर शेष बाड़मेर।
- इस जलवायु प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा (एरिडीसोल) तथा स्टेपी प्रकार की वनस्पति पायी जाती है।
- **वर्षा** - 20 से 40 सेमी.,
- **तापमान** -32 से 36 डिग्री सेल्सियस (ग्रीष्मकाल)- 10 से 17 डिग्री सेल्सियस (शीतकाल)

3. उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश -

- **क्षेत्र -** जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा तथा पाली का पूर्वी भाग।
- इस जलवायु प्रदेश में सम जलवायु, मिश्रित पतझड़ वन (धौंकड़ा वन) तथा एल्फीसोल (जलोढ़ मृदा) पाई जाती है।
- **वर्षा** - 40 सेंटी मीटर से 60 सेमी.,
- **तापमान-** 28 से 34 डिग्री सेल्सियस (ग्रीष्मकाल)- 12 से 18 डिग्री सेल्सियस (शीतकाल)

4. आर्द्र जलवायु प्रदेश -

- **क्षेत्र –** करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और राजसमन्द।
- इस जलवायु प्रदेश में लाल-काली मृदा (इनसेप्टीसोल) तथा मिश्रित वनस्पति पायी जाती है।
- **वर्षा** - 60 से 80 सेमी.,
- **तापमान** - 32 से 34 डिग्री सेल्सियस (ग्रीष्मकाल में), शीतकाल में 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस

5. अति आर्द्र जलवायु प्रदेश -

- **क्षेत्र** - डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, बारां, झालावाड़, तथा माउंट आबू।
- इस प्रदेश में सवाना और सदाबहार वनस्पति तथा मध्यम काली मृदा (वर्टीसोल) पायी जाती है।
- **तापमान** – शीतकाल में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस व ग्रीष्मकाल में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस।
- **वर्षा** - 80 से 150 सेमी. तक

व्यक्तिगत जलवायु प्रदेश –

कोपेन का जलवायु वर्गीकरण -

- **1918 में डॉ. ब्लादिमिर कोपेन ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में बाँटा है।** इन जलवायु प्रदेशों के **वर्गीकरण का मुख्य आधार वनस्पति था।**

  1953 में कोपेन के शिष्य गिगर पॉल ने इसमें संशोधन करते हुए अंतिम रूप दिया और तब से इसे कोपेन - गिगर पॉल वर्गीकरण के नाम से जाना गया। इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण में अंग्रेजी के छोटे-बड़े वर्गों का प्रयोग किया, जो निम्न प्रकार है-

  A. तात्पर्य - अति आर्द्र जलवायु (उष्ण)
  B. तात्पर्य - बालू/रेत - शुष्क जलवायु
  C. तात्पर्य - शीतोष्ण जलवायु
  D. तात्पर्य – अल्प तापीय जलवायु
  E. तात्पर्य - ध्रुवीय जलवायु
- **नोट :-** राजस्थान में D व E प्रकार की जलवायु नहीं पायी जाती है।
- A व C जलवायु के वर्गीकरण का आधार तापमान, जबकि B जलवायु के वर्गीकरण का आधार वर्षा है।

  h - तात्पर्य - hot (गर्म)
  W - तात्पर्य - warm (गर्म)

  s - तात्पर्य-स्टेपी — आधा गीला / आधा सूखा — अर्द्धशुष्क

  g - तात्पर्य - गर्मी - वर्षा से पहले तेज गर्मी
- S व W का प्रयोग B जलवायु के साथ होता है
- उनके अनुसार वनस्पति के द्वारा किसी स्थान पर वर्षा व तापमान के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। इन्होंने अपने वर्णन में कूट सांकेतिक शब्दों का उपयोग किया।

- **कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण -**

1. Aw / उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश
2. BShw / अर्द्ध शुष्क / स्टेपी जलवायु प्रदेश
3. BWhw / उष्ण मरुस्थलीय / उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश
4. Cwg / शुष्क शीत / उप आर्द्र जलवायु प्रदेश

1. Aw / उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश-

- **इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बाँसवाड़ा व डूंगरपुर, सलूम्बर, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा एवं सिरोही** जिले आते है।
- इस प्रदेश का **प्रतिनिधित्व बाँसवाड़ा जिला** करता है।
- यहाँ का औसत तापमान - गर्मी में 30^0-$34°$ व सर्दी में 12^0-$15°C$ रहता है।
- वर्षा 80 – 120 सेमी. ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। सर्दी में शुष्क हवाएँ चलती है। यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों तथा सवाना प्रदेशों से समानता रखते हैं।

- *Aw में माही बेसिन, छप्पन का मैदान, वांगड़ प्रदेश, कांठल प्रदेश शामिल है।*
- *सवाना एव मानसूनी वनस्पति पायी जाती है।*

2. *BShw / अर्द्ध शुष्क / स्टेपी जलवायु प्रदेश-*

- *इस प्रदेश में बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, उत्तरी सिरोही पाली, ब्यावर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, चूरू, झुंझुनू तथा सीकर आदि जिले आते हैं।*
- *इस प्रदेश का **प्रतिनिधित्व नागौर जिला** करता है। इस जलवायु प्रदेश में सर्दी की ऋतु शुष्क होती है तथा गर्मी के मौसम में भी अधिक वर्षा (औसत वर्षा 20-40 सेमी.) नहीं होती है।*
- *यहाँ का औसत तापमान में गर्मी 32°-35° व सर्दी में 5°-15°C रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। **काँटेदार झाड़ियाँ व घास के मैदान यहाँ की विशेषता है।***
- ***यहाँ एरिडीसोल प्रकार की मृदा पायी जाती है।***

3. *BWhw / उष्ण मरूस्थलीय / उष्ण कटिबंधीय शुष्क-*

- ***इस प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी चूरू, पश्चिमी बीकानेर, जैसलमेर तथा फलोदी आदि जिले आते हैं।***
- *इस प्रदेश का **प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला** करता है।*
- *इस प्रदेश में शुष्क उष्ण मरूस्थलीय जलवायु की दशाएँ पाई जाती है जहाँ औसत वर्षा 10-20 सेमी. / कम होती है एवं वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है।*
- *तापमान - गर्मियों में 35 डिग्री तथा सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड।*
- *इस जलवायु प्रदेश में एंटीसोल मृदा तथा मरुद्भिद (जीरोफाइट) वनस्पति पायी जाती है।*

4. *Cwg / शुष्क शीत / उपआर्द्र जलवायु प्रदेश-*

- *इस प्रदेश के अन्तर्गत खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, ब्यावर, अजमेर, टोंक, राजसमन्द, भीलवाड़ा, बूंदी व कोटा आदि जिले आते हैं।*
- *इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व टोंक जिला करता है।*
- *साधारणतः यहाँ वर्षा ऋतु में ही औसत वर्षा 60-80 सेमी. होती है।*
- *यहाँ का औसत तापमान - गर्मी में 30°-35° व सर्दी में 13°-20°C रहता है। यहाँ बीहड़ पाये जाते हैं।*
- *यहाँ एल्फीसोल मृदा तथा मिश्रित पतझड़ वन (धोंकड़ा वन) पाए जाते हैं।*

- कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश निम्न मानचित्र से समझिये -

कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश

थार्नथवेट का वर्गीकरण -

*थार्नथवेट **ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में बाँटा है।***

आधार - तापमान , वाष्पीकरण , वर्षा

***वर्षा से संबंधित-** A = अतिआर्द्र*
B = आर्द्र

नोट – A व B जलवायु राजस्थान में नही पाई जाती है।
C = उप आर्द्र
D = अर्द्ध शुष्क
E = शुष्क

तापमान से संबधित – **A' = उच्चतापमान**
B' = मध्यतापमान

1. CA'w - उप आर्द्र / शुष्क-अर्द्ध शुष्क जलवायु
2. DA'w – उष्ण आर्द्र / अर्द्ध शुष्क जलवायु
3. DB'w - अर्द्ध शुष्क / मिश्रित जलवायु
4. EA'd - उष्ण शुष्क जलवायु / मरुद्भिद जलवायु

1. CA'w - उप आर्द्र / शुष्क-अर्द्ध शुष्क जलवायु

- **इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बाँसवाड़ा व डूंगरपुर, सलूम्बर, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा एवं सिरोही** जिले आते है।
- सवाना एव मानसूनी वनस्पति पायी जाती है

4. DA'w – उष्ण आर्द्र / अर्द्ध शुष्क जलवायु-

- इस प्रदेश के अन्तर्गत - अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर
- अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, **चित्तौड़गढ़** दौसा,
- राजसमन्द, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर, जालौर, जयपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ आदि जिले आते हैं।

2. DB'w - अर्द्ध शुष्क / मिश्रित जलवायु –
इस प्रदेश के अन्तर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उ.पू. बीकानेर, उ. झुंझुनू

3. EA'd - उष्ण शुष्क जलवायु / मरुद्भिद जलवायु –
इसमे पश्चमी राजस्थान शामिल है जिसमे – बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फैलोदी etc...

द्रिवार्था का वर्गीकरण - द्रिवार्था ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में बाँटा है।
आधार – वर्षा
नोट – द्रिवार्थ का वर्गीकरण_कोपेन के वर्गीकरण से समानता रखता है ।

कोपेन का वर्गीकरण	द्रिवार्था का वर्गीकरण	औसत वर्षा (cm)
Aw	Aw	100 cm
BWhw	BWh	10 cm
BShw	BSh	30 cm
Cwg	Caw	70 cm

a = गर्म ग्रीष्म ऋतू

जलवायु के अन्तर्गत ऋतु वर्गीकरण
जलवायु के आधार पर राज्य में तीन प्रकार की ऋतुएँ पायी जाती है -

1. ग्रीष्म ऋतु - मार्च से मध्य जून
2. वर्षा ऋतु - मध्य जून से सितम्बर
3. शीत ऋतु - अक्टूबर से फरवरी

शीत ऋतु को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है:
(अ) मानसून प्रत्यावर्तन काल - अक्टूबर से दिसम्बर
(ब) शीत ऋतु - जनवरी से फरवरी

भारत की परम्परागत ऋतुएँ

ऋतु	भारतीय-माह	अंग्रेजी माह
बसंत	चैत्र-बैसाख	मार्च-अप्रैल
ग्रीष्म	ज्येष्ठ-आषाढ़	मई-जून
वर्षा	श्रावण-भाद्र	जुलाई - अगस्त
शरद	आश्विन-कार्तिक	सितम्बर-अक्टूबर
हेमंत	मार्गशीर्ष-पौष	नवम्बर-दिसम्बर
शिशिर	माघ - फाल्गुन	जनवरी - फरवरी

1. ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक)

- ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ मार्च से होता है तथा मध्य जून तक ये ऋतु रहती है।
- 22 दिसम्बर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके पश्चात् सूर्य उत्तरायण होने लगता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध के धरातल को सूर्य का तापमान धीरे - धीरे अधिक मिलने लगता है इसी कारण धरातल गर्म होने लगता है तथा दिन धीरे - धीरे बड़े होने लगते हैं।
- **21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लम्बवत् पड़ती है अतः इस दिन सम्पूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं।**
- **21 मार्च व 23 सितम्बर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है,** इसी कारण इस दिन सम्पूर्ण पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती है और यह स्थिति विषुव कहलाती है।
- **21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो राज्य में भयंकर गर्मी पड़ती है।**
- पश्चिमी थार के मरुस्थल का दिन में भयानक हाल हो जाता है। दोपहर में वहाँ का तापमान 35° सेंटीग्रेड तथा उसके बाद अपराह्न में तापमान 47°-50° सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है।

अध्याय – 5

प्राकृतिक वनस्पति एवं वन

प्रमुख तथ्य –

- **प्रथम वन संरक्षण कानून** – राजस्थान में पहली बार 1910 में जोधपुर (मारवाड़) रियासत में वन संरक्षण योजना लागू की गई।
- यह कानून वन संपदा की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया।
- टोंक रियासत में 1901 में शिकार अधिनियम बनाया गया।
- अलवर रियासत में 1935 में वन अधिनियम लागू हुआ।
- 1949-50 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई।
- राजस्थान वन अधिनियम – 1953 को अधिनियमित किया गया ।
- वन्य जीव संरक्षण नियम – 1977 को अधिसूचित किया गया।
- राज्य की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति – 18 फ़रवरी 2010
- लक्ष्य - 20% क्षेत्र पर राज्य में वन ।
- **नोट –** वन एवं पर्यावरण नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है ।
- द्वितीय वन नीति 5 जून 2023
- राज्य नवीनतम वन नीति – 2023

राजस्थान में वन –

- वन वह प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ वृक्ष, झाड़ियाँ और घास मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तथा अन्य पौधे इन्हीं की छाया में विकसित होते हैं।
- 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33.33% भाग वन होना चाहिए।
- राजस्थान में वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.64% भाग पर ही वन है।
- **वन गणना –**
- वन सर्वेक्षण एव अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड वन गणना का कार्य करती है ।
- वन गणना प्रति 2 वर्ष में एक बार की जाती है ।
- नवीनतम वन गणना 18 वीं

राजस्थान नवीनतम वन रिपोर्ट -2023 के अनुसार वन विभाग के आकड़े –

✓ **18 वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित 21 दिसंबर. 2024 को ।**
✓ **प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल -3,42,239 वर्ग किमी.**
✓ **प्रदेश का कुल वन क्षेत्र - 33,014 वर्ग किमी.**
✓ **कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र - 9.64 %**
✓ प्रदेश का कुल वनावरण - 16654.96 वर्ग किमी.(4.84%)
✓ वृक्षावरण - 10841.12 वर्ग किमी.
✓ कुल वनावरण एवं वृक्षावरण - 27389.33 वर्ग किमी. (भौगोलिक क्षेत्र का 8%)
✓ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला – उदयपुर (2766.39 वर्ग किमी / कुल बन क्षेत्र का – 23.60 %)
✓ न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला – चूरू (62.73 वर्ग किमी / कुल वन क्षेत्र का 0.45%)
✓ राज्य में प्रतिव्यक्ति वन क्षेत्र – 0.037 प्रति हेक्टेयर
✓ राज्य देश में 4th स्थान पर ।

जिला व संभाग के अनुसार वन क्षेत्र

- वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक वन उदयपुर जिले में हैं।
- सबसे कम वन चूरू जिले में पाए जाते हैं।
- संभागों में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर संभाग में है।
- न्यूनतम वन क्षेत्र कोटा संभाग में है।

राजस्थान के वन से संबंधित प्रमुख तथ्य

- राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी (प्रोसोपिस सिनेरिया) है।
- राज्य वृक्ष का दर्जा - 31 अक्टूबर 1983
- राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा (टीकोमेला अंडूलेटा) है।
- राज्य पुष्प दर्जा -31 अक्टूबर 1983
- राज्य में कुल 38 वन मण्डल हैं।

✓ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मण्डल जोधपुर है।
✓ सबसे छोटा वन मण्डल सिरोही है।

- राज्य में 16 वन्यजीव मण्डल हैं।

✓ राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष धोकड़ा /धोक है।
✓ शुष्क वनों में सबसे अधिक पाया जाने वाला वृक्ष खेजड़ी है।

- राज्य के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भाग में वन सघनता सर्वाधिक है।

राजस्थान की वन नीतियाँ

- 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की गई।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के 20% क्षेत्र को वनाच्छादित करना था।
- राजस्थान इस प्रकार की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
- **18 वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित 21 दिसंबर. 2024 को** नई राजस्थान वन नीति जारी की गई।
- नई नीति में भी 20% वन क्षेत्र के लक्ष्य को दोहराया गया है।

राजस्थान में वनों की नवीनतम स्थिति (2023-24)

- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का अभिलिखित वन क्षेत्र 32,869 वर्ग किमी है।
- यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.60% है।

वनों की श्रेणियाँ

- आरक्षित वन: 12,176 वर्ग किमी
- संरक्षित वन: 18,588 वर्ग किमी
- अवर्गीकृत वन: 2,105 वर्ग किमी

वन और वृक्ष आवरण में परिवर्तन

- राज्य में वन और वृक्ष आवरण में कुल 394.46 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई।
- इस दौरान वन क्षेत्र में 83.80 वर्ग किमी की कमी हुई।

राजस्थान के जन्तुआलय, मृगवन व जैविक उद्यान

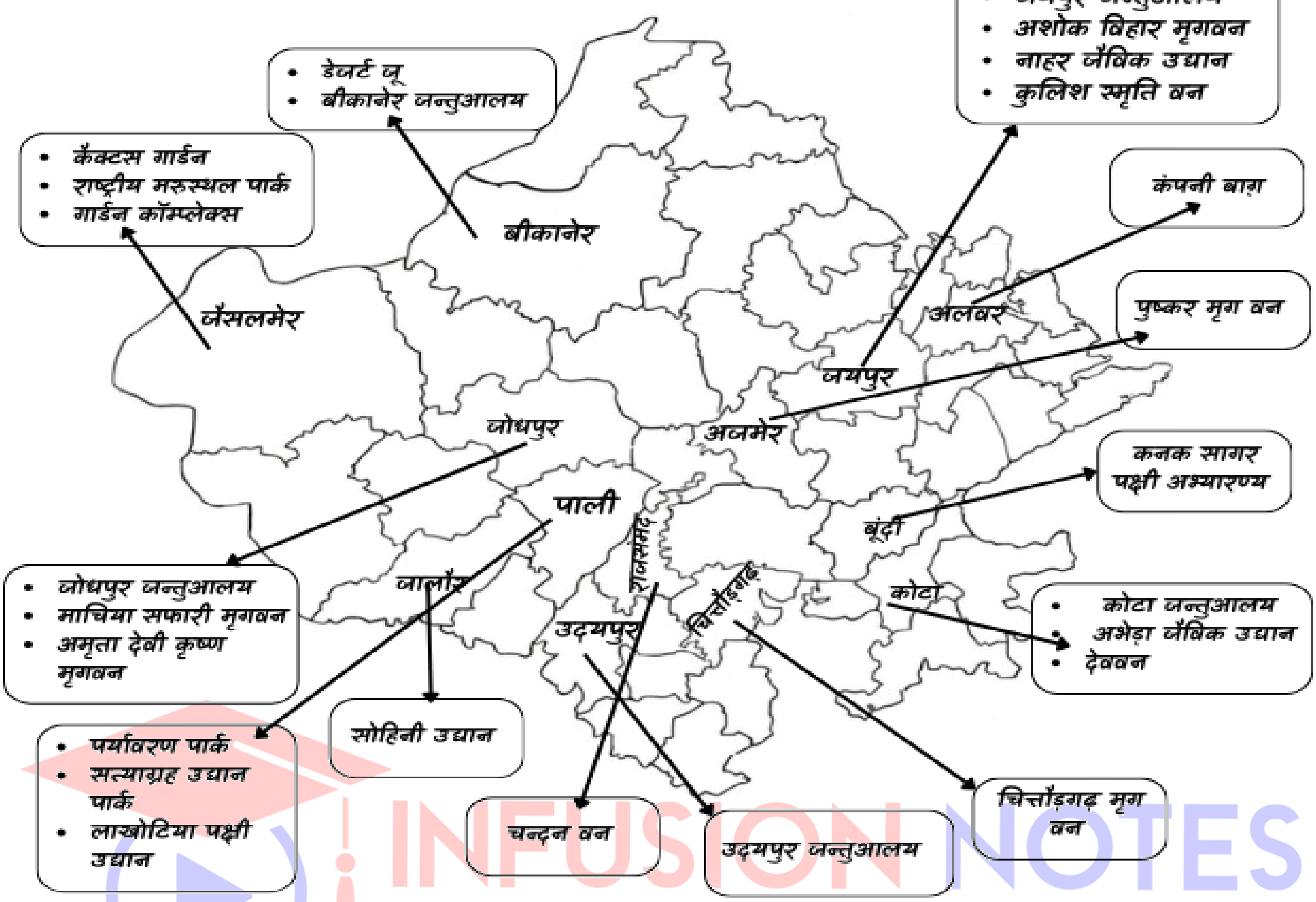

राजस्थान के जिले और उनके शुभंकर-

क्र.सं.	जिला	शुभंकर
1.	**अजमेर**	खड़मोर पक्षी
2.	**अलवर**	सांभर
3.	**बारां**	मगरमच्छ
4.	**बीकानेर**	बटबड़ / रेत का तीतर
5.	**बूँदी**	सुर्खाब
6.	**चूरू**	काला हिरण
7.	**दौसा**	खरगोश
8.	**डूंगरपुर**	जांघिल
9.	**जैसलमेर**	गोडावण
10.	**जालौर**	भालू
11.	**जोधपुर**	कुरजां पक्षी
12.	**कोटा**	ऊदबिलाव
13.	**टोंक**	हंस
14.	**प्रतापगढ़**	उड़न गिलहरी
15.	**सवाई माधोपुर**	बाघ
16.	**सीकर**	शाहिन (बाज)
17.	**सिरोही**	जंगली मुर्गा
18.	**भीलवाड़ा**	मोर
19.	**बाँसवाड़ा**	जलपीपी
20.	**बाड़मेर**	लोमड़ी
21.	**भरतपुर**	साइबेरियन सारस
22.	**चित्तौड़गढ़**	चौसिंगा
23.	**झुंझुनूं**	काला तीतर
24.	**धौलपुर**	पंचीरा (इंडियन स्कीमर)
25.	**हनुमानगढ़**	छोटा किलकिला (किंगफिशर)
26.	**झालावाड़**	गागरोनी तोता
27.	**करौली**	मगरमच्छ
28.	**नागौर**	राजहंस
29.	**पाली**	तेंदुआ
30.	**राजसमंद**	भेड़िया
31.	**श्री गंगानगर**	चिंकारा
32.	**उदयपुर**	बिज्जू
33.	**जयपुर**	चीतल

महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं वन्यजीव दिवस –

दिवस	तिथि
विश्व नम भूमि (Wetland) दिवस	2 फरवरी
विश्व वानिकी दिवस	21 मार्च

☞ प्रमुख जनजातियाँ

कंजर :-

- ***मुख्यतया हाड़ौती क्षेत्र में।***
- मुख्य व्यवसाय : चोरी करना।
- चोरी करने से पूर्व देवता से आशीर्वाद मांगते है, जिसे ये **'पातो (पाती) मांगना'** कहते है।
- ***जोगणिया माता (चितौड़गढ़) : कंजरों की कुलदेवी।***
- चौथ माता (चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर)
- रक्त दंजी माता : बूंदी।
- हनुमान जी : आराध्य देव।
- हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते है।
- मरणासन्न व्यक्ति के मुँह में शराब डाली जाती है।
- शव को दफनाते है।
- इनके मुखिया को 'पटेल' कहते है।
- मोर का मांस खाते है।
- इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की अनिवार्य होती है।
- ***महिलाएँ चकरी नृत्य करती है। नृत्य करते समय विशेष प्रकार का पायजामा पहनते है, जिसे 'खूसनी' कहते है।***

कथौड़ी :-

- ***उदयपुर जिले में अधिक संख्या में।***
- मूल रूप से महाराष्ट्र के है।
- ***खैर के वृक्ष से कत्था बनाते है,*** इसलिए कथौड़ी कहते है।
- कथौडी दूध नहीं पीते है।
- कथौड़ी शराब पीते है एवं महिलाएँ भी पुरुषों के बराबर बैठकर पीती है।
- महिलाएँ गहने नहीं पहनती, गोदना गुदवाती है।
- ***कथौड़ी महिला द्वारा पहले जाने वाली साड़ी 'फड़का' कहलाती है।***
- इनका मुखिया 'नायक' कहलाता है।
- **प्रमुख कविता :** आराध्य देवता डूंगर देव, बाघ देव, भारी माता, कंसारी माता।
- ***कथौड़ी एक संकटग्रस्त जनजाति है,***
- इनको 'मनरेगा' में विशेष लाभ दिया जाता है पूरे परिवार को 250 दिन का रोजगार दिया जाता हैं।
- ***कथौड़ी पुरुषों द्वारा 'मावलिया नृत्य' नवरात्रा*** के दिनों मे किया जाता है और महिलाओं द्वारा होली पर होली नृत्य करते है।
- ***कथौड़ी झोंपडे को 'खोलरा' कहते है।***

डामोर :-

- ***मुख्यत : उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा जिले ।***
- ***सर्वाधिक जनसंख्या : डूंगरपुर***
- डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति' को डामरिया क्षेत्र कहते है।
- ***एकमात्र जनजाति जो वनाश्रित नहीं है।***
- कृषि एव पशुपालन करते है।
- डामोर अपनी उत्पति 'राजपूतों' से मानते है।
- डामोर पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते है।
- होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम 'चाड़िया' कहलाता है।
- मुखिया को **मुखी** कहते है।
- डामोर **बहुविवाह** करते है।
- विवाह का आधार वधु मूल्य कहते है।

सांसी :

- ***भरतपुर जिले में अधिक संख्या में है।***
- इनकी उत्पति सांसमल से मानी जाती है।
- इनकी दो उपजातियाँ है : बीजा एवं माला।
- सांसी विधवा विवाह नहीं करते है।
- ***'भाखर बावजी' कुलदेवता*** की कसम खाने के बाद ये झूठ नहीं बोलते है।
- कसम खाते समय यह एक हाथ में कुल्हाड़ी एवं दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते है।
- (भाखर बावजी के मंदिर में) लड़की को शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे 'कुकड़ी' रस्म कहते है।
- सिकोदरी माता इनकी प्रमुख आराध्य देवी है।
- ये हरिजनों को अपना मुखिया मानते हैं व अपने विवादों का निपटारा भी इन्ही से करवाते है।

गरासिया :

- सिरोही : आबू, पिण्डवाड़ा तहसील में।
- गरासिया महिलाएँ सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है।
- ***प्रेम विवाह को अधिक तवज्जों दी जाती है।***

विवाह के प्रकार : मोरबंधिया विवाह (परम्परागत)

- पहरावना विवाह
- ताणना विवाह (पैसे देकर या छीनकर)
- मेलबो विवाह (बाल विवाह के बाद बड़ी होने पर लड़की को ससुराल छोड़कर आना)।
- **सेवणा** - गरासियों में प्रचलित इस विवाह में स्त्री प्रेमी के साथ भागकर विवाह करती है।
- **खेवणा** - गरासिया जनजाति में विवाहित महिला का अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना खेवणा कहलाता है।
- सेवा विवाह (घर जंवाई)।
- ***गरासिये के मुखिया को सहलोत या पालवी कहते है।***
- सफेद पशु एव मोर को पवित्र मानते है।
- ***नक्की झील मे अस्थियों का विसर्जन करते है।***
- मृत्यु के 12वें दिन : अंतिम संस्कार।
- गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है।

गरासियों की जातीय पंचायत के प्रकार :

- मोटी नियात / ऊँचलो नियात : उच्च श्रेणी के लोग होते है, जिन्हें बाबोर हाइया' कहते है।
- नेनकी नियात : इसमें शामिल लोगों को माडेरिया कहा जाता है।
- निचली नियात – निम्न श्रेणी के लोग भाग लेते है ।

राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय – 1

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था

(परिचय)

राज्य की परिभाषा –

अरस्तु के अनुसार –"राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

सिसरो के शब्दों में – "राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

वुडरो विल्सन – "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"

ब्लंशली – "किसी निश्चित भू- प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"

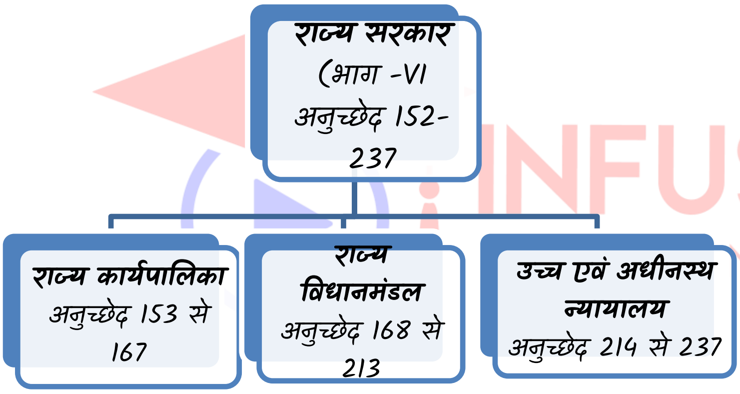

राज्य के तत्व

1. ***जनसंख्या (population)*** – *राज्य मे जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नही की जा सकती जिसमे कोई व्यक्ति नही रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमे एक निश्चित मात्रा मे जनसंख्या हो।*

2. ***निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)*** – *राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नही की जा सकती।*

3. ***सरकार (government)*** – *राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य मे सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नही कहा जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।*

4. ***संप्रभुता (sovereignity)*** – *संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज मे अन्य तीन तत्वो के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नही बन सकता राज्य मे। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नही हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।*

अध्याय – 3

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- *मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है । वह राज्य विधानसभा का नेता होता है । राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है । वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टो हेड होता है ।*
- *मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत की जाती है ।*
- *सामान्यत, राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है । लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है । राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो ।*

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है । वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है ।

- ***अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है । राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है ।*

***अनुच्छेद 164 (4)** मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है । जैसे— (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।*

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह

(i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

(ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है ।

- ***अनुच्छेद 164 (5)** मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है । वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75,000 रु प्रतिमाह वेतन मिलता है । (1 अप्रेल, 2019 के बाद) स्मरणीय तथ्य : मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परन्तु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है । अर्थात जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है । लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है । और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है ।*

अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- *मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ।*
- *मुख्यमंत्री, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है । मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है ।*
- *मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।*

NOTE- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है ।

- *वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है ।*
- *मुख्यमंत्री , राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है ।*

***अनुच्छेद 164 (1) क** - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया । इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे ।*

राज्यपाल के संदर्भ में

***अनुच्छेद 167-** इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्त्तव्यों का उल्लेख मिलता है ।*

(i) वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें।

(ii) राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँगे जाने पर सूचना प्रदान करना।

(iii)यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद् विचार नहीं किया है ।

NOTE- राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्था जैसेः- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद-165), राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए) तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद-316) राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA- नगर निकायों के लिए) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह (विशेषतया मुख्यमंत्री) की जाती है।

NOTE-राज्य के प्रमुख सांविधिक/ वैधानिक निकायों जैसेः- राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान सुचना आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों तथा लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता।

NOTE-राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल के संबंध में

- मुख्यमंत्री, राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है ।
- मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है ।
- मुख्यमंत्री, राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है ।

मुख्यमंत्री के अन्य कार्य

- राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते है ।
- अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) के सदस्य होते है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते है ।
- नीति आयोग के सदस्य होते है ।
- वह संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते है तथा एक समय में इनका कार्यकाल1 वर्ष का होता है ।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा आपातकाल के समय वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है ।

राजस्थान में मुख्यमंत्री

पं. हीरालाल शास्त्री

- 30 मार्च, 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के समय जब 14 देशी रियासतों का विलय कर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया तब जयपुर रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री को 30 मार्च, 1949 को ही नये राज्य का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया ।
- उन्होंने राजस्थान के प्रधानमंत्री के तौर पर 5 जनवरी, 1951 तक कार्य किया । देश में 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री पद का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कर दिया गया ।
- हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे।
- हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च, 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई ।
- हीरालाल शास्त्री एक बार लोकसभा सांसद भी रहे ।

सी.एस. वैंकटाचार्य (कदांबी शेषाटार वैंकटाचार्य)

- हीरालाल शास्त्री को लेकर मतभेद पैदा हो गया और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी एवज में आई.सी.एस. अधिकारी श्री सी.एस. वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री का कार्यभार दे दिया गया ।
- राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री (6 जनवरी, 1951 से 25 अप्रैल, 1951) बने ।
- सी.एस. वैंकटाचार्य रियासती काल में बीकानेर व जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे ।

जय नारायण व्यास

- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत (26 अप्रैल, 1951 से 3 मार्च, 1952) व निर्वाचित (1 नवम्बर, 1952 से 13 नवम्बर, 1954) दोनों रहे ।
- प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों (जोधपुर शहर - बी व जालौर - ए) से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों से हार गये । लेकिन बाद में किशनगढ़ सीट से चांदमल मेहता को इस्तीफा दिलवाकर सीट खाली की तथा उपचुनाव जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने ।
- जयनारायण व्यास एक बार राज्य सभा सांसद भी रहे ।
- जयनारायण व्यास, मुख्यमंत्री बनने के पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे ।

NOTE- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने (1) हीरालाल शास्त्री (2) सी.एस. वैंकटाचार्य (3) जयनारायण व्यास

टीकाराम पालीवाल

- टीकाराम पालीवाल प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री (3 मार्च, 1952 से 1 नवम्बर, 1952) बने । इससे पहले के सभी मुख्यमंत्री मनोनीत किये गए थे ।
- जयनारायण व्यास के किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतने के बाद इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा व इन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया ।
- एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे ।
- यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री व प्रथम उपमुख्यमंत्री बने ।
- यह लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे ।

अध्याय – 5

उच्च न्यायालय

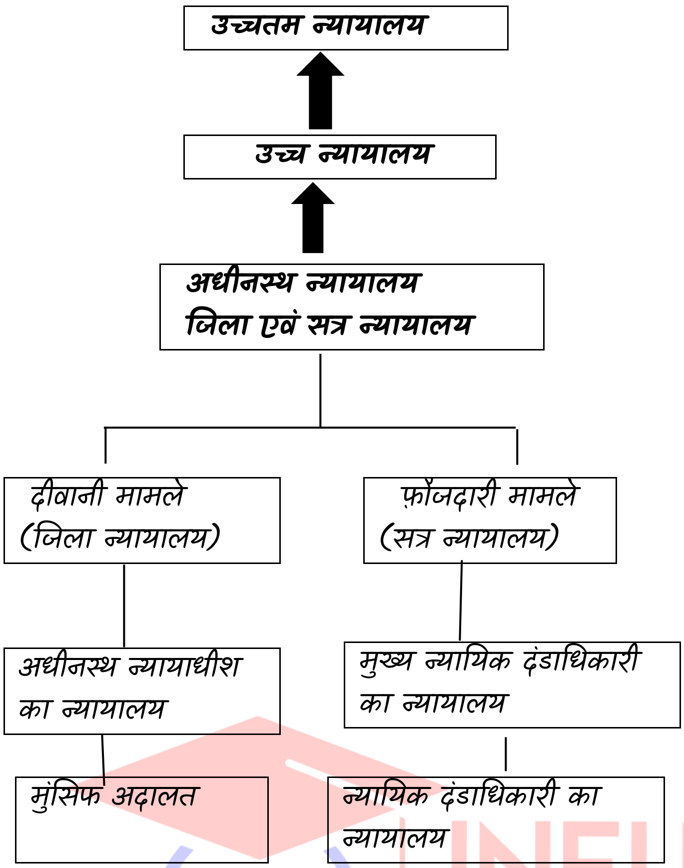

- भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ ।
- वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुई ।
- भारतीय संविधान के **भाग -6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक** राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है ।
- **अनुच्छेद 214** के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन **अनुच्छेद 231** के अन्तर्गत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है। (7 वें संविधान 1956 के तहत्)
- **अनुच्छेद 230 के तहत्** ससद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है ।

  पहले भारत में 21 उच्च न्यायालय थे। मार्च 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।
- वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है । 25 वां उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश राज्य का जो 1 जनवरी, 2019 अमरावती में स्थापित हुआ है ।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय (वर्ष 1966 से) है ।
- **NOTE :-** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्यों को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया । इससे पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में भी उच्च न्यायालय था लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू - कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में यथास्थित रहेगा ।
- निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय है -

(i) पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ : - चंडीगढ़ उच्च न्यायालय
(ii) महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादर एवं नागर हवेली- बॉम्बे उच्च न्यायालय
(iii) असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम :- गुवाहटी उच्च न्यायालय
(iv) तमिलनाडु, पुडुचेरी : - मद्रास उच्च न्यायालय
(v) केरल, लक्षद्वीप - एर्नाकुलम उच्च न्यायालय
(vi) प. बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह:- कलकत्ता उच्च न्यायालय

गठन

अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है । जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे । संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है । राष्ट्रपति समय - समय पर आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं ।

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा , जब वह
- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। या किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।

न्यायाधीशों की नियुक्त

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है ।
- कॉलेजियम की अनुशंसा पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संदर्भ में पहल करते हैं ।
- इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (भारत का मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) के पास नाम भेजे जाते हैं । यह कॉलेजियम राष्ट्रपति को इस सन्दर्भ में अनुशंसा करते हैं ।

NOTE:- *99 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा SC एवं HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया गया लेकिन SC ने इस संशोधन एवं अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।*

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- *अनुच्छेद 223 के तहत जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायायल के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।*
- ***अनुच्छेद 224 में*** *अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है।*
- ***अतिरिक्त का प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के लिए है जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में नहीं की जाती।***
- *राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।*

  (i) यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो।

  (ii) उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो।

  राष्ट्रपति उस पारिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के अलावा) अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तथा किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो।

  NOTE:- *हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के पश्चात पद पर नहीं रह सकता*

अनुच्छेद 224 A (15वें संविधान संशोधन 1963) *सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति*

- *उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उस उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं।*
- *वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है।*

शपथ ग्रहण

अनुच्छेद 219 *के तहत सभी न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दिलायी जाती है।* ***सभी न्यायाधीश पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं***

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ***तीसरी अनुसूची*** *के अनुसार शपथ ग्रहण -करता है।*

NOTE- *अनुच्छेद 220 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं जहाँ उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी।*

न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद भी नहीं दिया जाता है।

न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव लड़ सकते हैं।

उदाहरण के लिए - उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विजय बहुगुणा किसी भी राज्य के पहले एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं।

पदावधि

संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है लेकिन इस संबंध में चार प्रावधान किए गए हैं।

1. *उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु होती है। (15 वें संशोधन एक्ट 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई)*

   NOTE :- 114 वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान था लेकिन विधेयक पारित नहीं हुआ।
2. *राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है।*
3. *संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है।*
4. *उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है।*

न्यायाधीशों को हटाना

- *संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए Remoral शब्द काम में लिया गया है जिसका अर्थ है "पद से हटाना" जबकि राष्ट्रपति के लिए Impeachment शब्द काम में लिया गया है जिसका अर्थ है " महाभियोग "।*
- *हटाने के दो आधार "सिद्ध कदाचार" और "अक्षमता" है।*
- *उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है।*
- *राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है।*
- *प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन (इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन) मिलना आवश्यक है।*

- इस तरह, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है।
- न्यायाधीश जाँच एक्ट (1968) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के नियम निम्न है

1. यदि प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो तो 100 सदस्यों या फिर राज्यसभा में पेश हो तो 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव को अध्यक्ष / सभापति को सौंपा जाएगा।
2. अध्यक्ष / सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता।
3. यदि प्रस्ताव स्वीकृत को जाता है तो अध्यक्ष / सभापति एक समिति का गठन करेगा। समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात न्यायविद् होना अनिवार्य है।
4. यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
5. संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
6. अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं।

इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है।

NOTE:- पी.डी. दीनाकरन (कर्नाटक), सोमित्र सेन (कलकत्ता), एस. के सेंगले (जबलपुर) तथा जे. बी. पारदीवाला (गुजरात) उच्च न्यायालय के 4 ऐसे न्यायाधीश है जिन्हें हटाने हेतु राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था। दीनाकरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सेंगले के विरुद्ध गठित समिति ने आरोपों को खारिज कर दिया। पारदीवाला के विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव लम्बित है। जबकि सोमित्र सेन एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिनके विरुद्ध राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन लोकसभा में चर्चा होने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। **अनुच्छेद 222 में** न्यायाधीशों का स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।

तृतीय न्यायाधीश केस (1998) में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (एक वहाँ से जहाँ से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, एक वहाँ से जहाँ वह जा रहा हो) से परामर्श करना चाहिए। इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय को दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

दीवानी मामले:- इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायादेश निम्नानुसार है-

(a) जिला न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों से ऊँचे मूल्य वाले वादों में तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपील सीधे उच्च न्यायालय को होती है।

(b) पेटेण्ट तथा डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्त, दिवालियापन और सरक्षता आदि अभियोगों का मामलों में।

(c) कोई ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो (तथ्यों का नहीं)

आपराधिक मामले :- उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है-

(a) सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को सात साल से अधिक सजा हुई है।

नोट :- सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्यु - दण्ड पर कार्यवाही से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसी पुष्टि की जानी चाहिए। चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति ने कोई अपील की हो या न की हो।

(b) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दडाधिकारी या उच्च दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे (न कि अपील के जरिए) करने का अधिकार है जो निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है।

I. अधिकारिता का मामला वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना।
II. संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद।
III. राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में।
IV. नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन।
V. संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में।
VI. उच्च महत्त्व के मामलों में चार उच्च न्यायालयों (कलकत्ता, बबंई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार है।

8. निम्न में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लम्बा कार्यकाल किसका रहा है?
(a) श्री पी.एस. यादव
(b) डी.एल. तिवाड़ी
(c) एस. सी. त्रिपाठी
(d) श्री संजय कुमार श्रीवास्तव
उत्तर (b)

9. रियासत काल में सबसे अंत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब व किस रियासत में की गई थी?
(a) 1937, जोधपुर रियासत
(b) 1940, जयपुर रियासत
(c) 1946, बीकानेर रियासत
(d) 1947, मेवाड़ रियासत
सही उत्तरः (c) 1946, बीकानेर रियासत

10. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते भारित होते हैं?
(a) भारत की संचित निधि पर
(b) राज्य की संचित निधि पर
(c) केवल वेतन भारत की संचित निधि पर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
सही उत्तरः (b) राज्य की संचित निधि पर

अध्याय – 14

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत् स्थानीय निकायों (पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओं) में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं हेतु- भाग -9, अनुच्छेद 243K (ट) नगरीय संस्थाओं हेतु - भाग -9 क, अनुच्छेद 243 ZA (यक) में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है ।

रजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा -120 के तहत् राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून, 1994 को तथा कार्य प्रारम्भ । जुलाई, 1994 से किया । राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जयपुर है । राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ' एक सदस्यीय निकाय ' है (राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र सदस्य) । राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है।

- इसका एक सचिव है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। आयोग निर्वाचक रोल तैयार करने और पंचायतीराज संस्थानों के लिए और साथ ही नगर निकायों के चुनावों के आयोजन के माध्यम से अपनी संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन करता है।
- वर्ष 1960 के बाद से राजस्थान में पंचायतीराज संस्थानों (P.R.I.) के चुनाव का आयोजन किया जा रहा है।
- वर्ष 1960 में तथा इसके बाद वर्ष 1965, 1978, 1981 और 1988 में चुनावों को पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
- पंचायतीराज के 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें आम चुनाव क्रमशः वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में राज्य निवार्चन आयोग द्वारा आयोजित किए गए थे।

प्रश्न. राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए – (RAS. PRE-2021)
(i) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का गठन दिसम्बर, 1994 में हुआ।
(ii) इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।
(a) केवल (i) सही है ।
(b) केवल (ii) सही है
(c) (i) और (ii) दोनों सही हैं
(d) न तो (i) और न ही (ii) सही हैं **उत्तर - b**

प्रश्न. सही उत्तर दें : राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। (RAS. pre 2016)
(A) एक वैधानिक संस्था
(B) एक कार्यपालिका संस्था
(C) एक संवैधानिक संस्था
(D) भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई **उत्तर – C**

- **NOTE- वर्ष 2020 तक पंचायती राज के कुल 11 चुनाव हुए जिसमें से शुरुआत के 5 चुनाव पंचायतीराज विभाग द्वारा तथा अन्य 6 चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाएं गए हैं।**

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

- राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा होता है ।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य की पंचायतीराज संस्थानों एवं शहरी निकाय के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने के लिए उनका अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है ।
- राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी होता है जो प्रधान या अपर मुख्य सचिव के समकक्ष पद का होता है ।
- **नियुक्ति :** राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल करता है ।
- **कार्यकाल :** राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है ।
- **NOTE : राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमरसिंह राठौड़ व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन के समय कार्यकाल 6 या 62 वर्ष था, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इसे 5/65 वर्ष किया जाये अतः सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त इन्द्रजीत खन्ना के समय इसे लागू किया ।**
- **त्यागपत्र :** राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है ।
- **पद से हटाने की प्रक्रिया :** राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है (संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा) ।
- **सेवा शर्तें :** राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तों, वेतन - भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल के संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए किया जाता है । राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलता है (2,25,000 रुपये) । पदावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

- **राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य**

(i) चुनाव चिन्हों का आबंटन व उससे संबंधी विवादों का निराकरण करना ।
(ii) स्थानीय निकायों (पंचायतीराज व नगरीय संस्थाओं) के चुनाव करवाना (आम चुनाव,उपचुनाव) ।
(iii) चुनावों संबंधी शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित कराना । उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
(iv) असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करा सकता है ।
(v) मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनमें संशोधन करना।
(vi) आदर्श आचार संहिता लागू करना ।
(vii) परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य ।

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची

क्र. सं.	आयुक्त का नाम	कार्यकाल
1	अमरसिंह राठौड़	1 जुलाई, 1994 से 1 जुलाई, 2000
2.	नेकराम भसीन	2 जुलाई, 2000 से 2 जुलाई, 2002
3.	इन्द्रजीत खन्ना	26 दिसम्बर, 2002 से 26 दिसम्बर, 2007
4.	अशोक कुमार पाण्डे	1 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2013
5.	रामलुभाया	1 अक्टूबर, 2013 से 2 अप्रेल, 2017
6.	प्रेमसिंह मेहरा	3 जुलाई, 2017 से 3. जुलाई 2022
7.	मधुकर गुप्ता	14 अगस्त 2022 से सितंबर 2025
8 .	**राजेश्वर सिंह**	**17 सितंबर 2025 से वर्तमान**

अभ्यास प्रश्न

1. **राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?**
(अ) इन्द्रजीत खन्ना (ब) राम लुभाया
(स) अमर सिंह राठौड़ (द) एन. आर. भसीन
Ans.- (स)

2. **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की किस धारा में प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान हैं?**
(अ) 13 क (ब) 13 स
(स) 12 क (द) 12 स
Ans.- (अ)

3. **पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के प्रबंधन संबंधी अधिकार संविधान द्वारा किसे प्रदान किये गये हैं?**
(अ) पंचायत समिति (ब) राज्य निर्वाचन आयोग
(स) राज्य मंत्रिमंडल (द) उक्त कोई नहीं
Ans.:- (ब)

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

अध्याय – 1

अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य

प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष **2025-26** के लिए **₹18.75 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान यह ₹17.01 लाख करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में **10.24 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में **स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹9.82 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2024-25 के ₹9.04 लाख करोड़ से **8.66 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष **2025-26** के लिए **₹16.85 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान यह ₹15.25 लाख करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में **10.48 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में **स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹8.59 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2024-25 के ₹7.89 लाख करोड़ से **8.90 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष **2025-26** में **₹2,02,349** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2024-25 की ₹1,85,095 से **9.32 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाती है। **स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2025-26** में **₹1,03,189** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2024-25 की ₹95,762 से **7.76 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाती है।

☞ **आर्थिक विकास के मुख्य सूचक:-**

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2025-26^
1.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹ करोड़	**7,25,464**	7,71,631	8,30,724	9,03,564	**9,81,807**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	**11,95,641**	13,48,693	15,22,063	17,01,190	**18,75,413**
2.	**GSDP वृद्धि दर**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	प्रतिशत	**8.93**	6.36	7.66	8.77	**8.66**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	प्रतिशत	**17.46**	12.80	12.85	11.77	**10.24**
3.	**GSVA - स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान**						
	(अ) कृषि	प्रतिशत	**28.18**	27.62	27.05	27.05	**25.33**
	(ब) उद्योग	प्रतिशत	**28.62**	28.12	28.66	28.21	**28.21**
	(स) सेवाएँ	प्रतिशत	**43.20**	44.26	44.29	44.74	**46.46**
4.	**GSVA - प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान**						
	(अ) कृषि	प्रतिशत	**28.54**	27.59	27.40	27.13	**25.74**
	(ब) उद्योग	प्रतिशत	**27.90**	27.38	27.92	27.05	**26.55**
	(स) सेवाएँ	प्रतिशत	**43.56**	45.03	44.68	45.82	**47.71**
5.	**शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹ करोड़	**6,34,247**	6,74,018	7,24,575	7,89,133	**8,59,333**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	**10,70,324**	12,02,344	13,61,835	15,25,291	**16,85,118**
6.	**प्रति व्यक्ति आय (PCI)**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹	**79,490**	83,561	88,868	95,762	**1,03,189**
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹	**1,34,143**	1,49,060	1,67,027	1,85,095	**2,02,349**

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

7.	**सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रचलित मूल्यों पर)**	₹ करोड़	**3,42,374**	3,90,245	4,49,352	5,02,412	—
8.	**कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार 2005-08=100)**	—	**201.57**	209.63	214.92	243.55	—
9.	**कुल खाद्यान्न उत्पादन**	लाख MT	**231.92**	252.80	240.92	309.62	**283.98**
10.	**औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12=100)**	—	**133.97**	136.93	153.46	154.38	**153.29**
11.	**थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1999-2000=100)**	—	**371.22**	388.45	388.09	396.72	**399.13**
	प्रतिशत परिवर्तन	प्रतिशत	**9.93**	4.64	-0.09	2.18	**0.76**
12.	**अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)**	मेगावाट	**23,452**	23,509	24,784	27,284	**31,556**
13.	**वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर तक)**	₹ करोड़	**3,75,030**	3,75,030	5,37,597	6,11,546	**6,91,943**

संकेतों का अर्थ:

- संशोधित अनुमान (Revised Estimates - I)
- अग्रिम अनुमान (Advance Estimates)
- **लख MT:** लाख मैट्रिक टन

- **प्रमुख आर्थिक निष्कर्ष:**

- **विकास दर:** स्थिर मूल्यों पर GSDP की वृद्धि दर **8.66 प्रतिशत** रहने का अनुमान है।
- **प्रति व्यक्ति आय:** प्रचलित मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर **₹2,02,349** हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **9.32 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाती है।
- **ऊर्जा:** राज्य की ऊर्जा क्षमता में भारी वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2025 तक **31,556.43 मेगावाट** तक पहुँच गई है।
- **बैंक साख:** राज्य में ऋणों के वितरण में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो सितंबर 2025 तक **₹6,91,943 करोड़** रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान (2025-26)

विवरण	**इकाई/आधार**	**आँकड़े**
अर्थव्यवस्था का आकार (प्रचलित मूल्यों पर)		
अखिल भारत	₹ लाख करोड़	**357.14**
राजस्थान	₹ लाख करोड़	**18.75**
भारत की जी.डी.पी. में राज्य का प्रतिशत योगदान	प्रचलित मूल्यों पर	**5.25%**
जीडीपी / जीएसडीपी विकास दर (%)	स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	
भारत	प्रतिशत	**7.4**
राजस्थान	प्रतिशत	**8.66**
प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित मूल्यों पर)		
भारत	₹	**2,19,575**
राजस्थान	₹	**2,02,349**
सामाजिक संकेतक		
साक्षरता दर (%)	जनगणना 2011	भारत: **73.0** / राजस्थान: **66.1**
जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या पर)	एस.आर.एस. 2023	भारत: **18.4** / राजस्थान: **22.9**
कार्य भागीदारी दर (%)	जनगणना 2011	भारत: **39.8** / राजस्थान: **43.6**
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	जनगणना 2011	

भौगोलिक क्षेत्र (लाख वर्ग कि.मी.)		भारत: **32.87** / राजस्थान: **3.42**
जनसंख्या		भारत: **121.09 करोड़** / राजस्थान: **6.85 करोड़**
लिंगानुपात (महिलाएं प्रति 1000 पुरुष)		भारत: **943** / राजस्थान: **928**

राजस्थान में भौतिक आधारभूत संरचना	
	स्थापित विद्युत क्षमता (मेगावाट) भारत : 5,09,743 मेगावाट (दिसंबर 2025 तक) राजस्थान : 30,525 मेगावाट (दिसंबर 2025 तक)
	सड़क घनत्व (प्रति 100 वर्ग कि.मी.) भारत : 161.71 कि.मी. राजस्थान : 92.66 कि.मी. (मार्च 2024 के अंत तक)
	डाक और दूरसंचार **डाक घर** भारत : 1,56,721 राजस्थान : 10,287 **दूरसंचार ग्राहक (करोड़)** भारत : 120.12 राजस्थान : 6.68

- **<u>थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक</u>**
- राज्य का सामान्य **थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100)** वर्ष 2024 के 394.68 से बढ़कर **वर्ष 2025 में 399.13** हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **1.13 प्रतिशत** की मामूली वृद्धि दर्शाता है। वस्तु समूहों के अनुसार, **प्राथमिक वस्तु समूह** की कीमतों में 1.71 प्रतिशत, **विनिर्मित उत्पाद समूह** में 1.20 प्रतिशत तथा **ईंधन, बिजली, प्रकाश एवं स्नेहक समूह** में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत, अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) वर्ष 2024 के 153.9 से बढ़कर 2025 में 154.9 हो गया है, जो 0.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए राज्य में अजमेर केंद्र के स्थान पर **अलवर केंद्र** को शामिल किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016=100)** वर्ष 2025 में राज्य के विभिन्न केंद्रों पर बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है। वर्ष 2024 की तुलना में **अलवर केंद्र में 2.02 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र में 2.62 प्रतिशत और जयपुर केंद्र में 1.88 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 2.75 प्रतिशत रही।
- **बैंकिंग एवं वित्त**
- राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क अत्यंत सुदृढ़ है। सितम्बर, 2025 तक राजस्थान में कुल **9,172 बैंक शाखाएँ/कार्यालय** कार्यरत हैं। इनमें **4,619 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**, 1,628 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2,301 निजी क्षेत्र के बैंक, 7 विदेशी बैंक, 577 लघु वित्त बैंक और 40 भुगतान बैंक शाखाएँ शामिल हैं। राज्य में औसतन प्रति एक लाख जनसंख्या पर 11 बैंकिंग कार्यालय उपलब्ध हैं।
- राजस्थान में सितम्बर, 2025 तक बैंकों में **कुल जमा राशि ₹7,72,147 करोड़** रही, जो सितम्बर, 2024 की तुलना में **9.75 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर जमा राशि में 9.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साख (ऋण) वितरण के मामले में, राजस्थान के बैंकों ने सितम्बर, 2025 तक ₹6,91,943 करोड़ का ऋण वितरित किया है, जो 13.15 प्रतिशत की

वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। राज्य का **साख-जमा अनुपात (CD Ratio) 89.61 प्रतिशत** रहा है, जो कि **80.43 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक** है। यह अनुपात राज्य में ऋण की उच्च मांग और आर्थिक सक्रियता को प्रदर्शित करता है।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	**31.2**
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएँ प्रति हजार पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	बालिकाएँ प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	**2023***	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	**22.9**	**18.4**
अशोधित मृत्यु दर	**2023***	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	**5.9**	**6.4**
शिशु मृत्यु दर	**2023***	प्रति हजार जीवित जन्म	**29**	**25**
मातृ मृत्यु अनुपात,	**2021-23***	प्रति लाख जीवित जन्म	**86**	**88**
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	**2019-23***	वर्ष	**70.4**	**70.3**

स्रोतः एस.आर.एस. बुलेटिन (भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय)

अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में (2025-26)

1. प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था का आकार

- **अखिल भारतः** ₹357.14 लाख करोड़
- **राजस्थानः** ₹18.75 लाख करोड़
- **भारत की GDP में राज्य का योगदानः** 5.25 प्रतिशत

2. GDP / GSDP विकास दर (स्थिर 2011-12 कीमतों पर)

- **भारतः** 7.4 प्रतिशत
- **राजस्थानः** 8.66 प्रतिशत

3. प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय

- **भारतः** ₹2,19,575
- **राजस्थानः** ₹2,02,349

4. प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान (GSVA - 2025-26)

- **राजस्थानः**
  - **कृषिः** 25.74 प्रतिशत
  - **उद्योगः** 26.55 प्रतिशत
  - **सेवाः** 47.71 प्रतिशत

प्रमुख सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय संकेतक

सूचक	आधार वर्ष	भारत	राजस्थान
साक्षरता दर (%)	जनगणना 2011	73.0	66.1
कार्य भागीदारी दर (%)	जनगणना 2011	39.8	43.6
जन्म दर (प्रति 1000)	SRS 2023	18.4	22.9

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- औद्योगिक उत्पाद का विकास को प्राथमिकता दी गयी
- उद्योग बनाने हेतु योजना तैयार की गयी
- 1957 में छात्रवृति का आरम्भ शुरू किया गया, जिससे छात्रों को पढ़ने हेतु सहायता मिल सके।
- कोयले की उत्पादन को और अधिक बढ़ा दिया गया था
- ऐसे शहर जहाँ स्टील प्लांट स्थापित किये जाते है, वहां हाइड्रोपावर और हैवी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने की मंजूरी दी गयी

तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 (जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित)

इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, इसके बाद 1965 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जिससे देश की आर्थिक व्यवस्ता को बहुत नुक्सान हुआ जिसके कारण इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। परन्तु फिर भी कई कार्य को जारी रखा गया जैसे: कृषि हेतु विकास का कार्य, बाँध बनाने का निर्माण कार्य, योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का कार्य शुरू हुआ। राज्यों में विकास सम्बंधित हेतु कार्यो की जिम्मेदारी सौंपी गयी। हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के समय हुई थी। सरकार द्वारा इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इसकी वृद्धि केवल 2.84% हुई।

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- कृषि और गेहूँ के उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देना था
- ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण करने का कार्य किया गया
- बाँध व सिंचाई का कार्य जारी चलता रहा
- सीमेंट और केमिकल फ़र्टिलाइज़र का उत्पादन किया गया
- पंजाब में अधिक मात्रा में गेहूँ का उत्पादन शुरू किया गया

▪ **महत्तवपूर्ण जानकारी:**

- आपको हम यह भी बता देते है कि तीसरी योजना का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, 1967-1969 तक कोई भी नयी पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा नहीं बनायीं गयी; जिसे plan holiday का नाम दिया गया ।
- **चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974 (अशोक रूद्र व ए० एस० मान्ने मॉडल पर आधारित)**
- चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी बनी। जिसके बाद पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व इंदिरा गाँधी ने संभाल लिया था। इंदिरा गाँधी जी की सरकार ने देश के 14 भारतीय बैंको को राष्ट्रीकृत बनाया, इसके अलावा 1971 में हो रहे चुनाव के दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। इस योजना की प्लानिंग योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.पी गाडगिल ने तैयार की। हरित क्रांति की शुरुवात से कृषि उत्पादन हेतु कार्य किये गए। सरकार द्वारा इसका लक्ष्य 5.7% रखा गया था, लेकिन इसकी वृद्धि केवल 3.3% हुई।यह पंचवर्षीय योजना असफल रही ।

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- दृढ़ता के साथ देश का आर्थिक विकास योजना की प्राथमिक थी ।
- ISRO की स्थापना भी इसी योजना के दौरान हुई ।
- योजना के तहत पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग (INDUSTRIES) स्थापित कराई गयी, जिससे उन क्षेत्रों का विकास निश्चित था ।
- सरकार द्वारा 14 भारतीय बैंको को NATIONALIZED किया गया ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जो की एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है उसका गठन किया गया।

पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1979 (डी.पी. धर मॉडल पर आधारित)

इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। जिसके बाद उद्योग निर्माण हेतु योजना इसकी दूसरी प्राथमिकता मानी गयी। ग्रामीण बैंको का निर्माण किया गया। इस योजना के तहत गरीबी को समाप्त, नए रोजगार प्रदान करना,और देश में न्याय की नीव को आगे बढ़ाना है इसका लक्ष्य था। 1978 में NEWLY ELECTED मोरारजी देसाई जो की जनता पार्टी से भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा यह योजना अस्वीकार कर दी गयी। इसका लक्ष्य 4.4 % रखा गया, इसकी वृद्धि 4.9 % हुई। यह योजना सफल रही।

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- ग्रामीण बैंको की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गयी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को पूर्ण रूप से हटाना था
- सोशल फॉरेस्ट्री भी इस योजना के अंतर्गत शुरू की गयी
- नेशनल हाईवे बनाने हेतु HIGHWAY SYSTEM को प्रस्तुत किया गया
- बढ़ती यातायात को देखते हुए सड़को की चौड़ाई को बढ़ाने हेतु जानकारी पेश की गयी ।

▪ **महत्तवपूर्ण जानकारी:**

हम आपको यह महत्तवपूर्ण बात बता देते है कि देश में RE-ELECTION होने के कारण इंदिरा गाँधी की सरकार 4 साल तक ही चल पायी। जिसके बाद जनता पार्टी से नव निर्वाचित मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री घोषित किये गए।जिसके बाद इन योजनाओ को समाप्त कर दिया गया था बता दे कि Gunnar Myrdal (स्वदेशी अर्थशास्त्री) ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्लान बनाया, जिसे रोलिंग प्लान नाम दिया गया, यह एक

वार्षिक प्लान था । इस प्लान को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्वीकृति मिल गयी थी, जिसे लागू करने का श्रेय प्रो० डी० टी० लकडवाला को दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना था। इस योजना के दौरान इंदिरा गाँधी फिर से प्रधानमंत्री बनी इस योजना को दो बार तैयार किया गया। पहली बार जनता पार्टी द्वारा 1978-1983 के कार्यकाल हेतु "अनवरत योजना" की शुरुवात की गयी, परन्तु 1980 में बनी इंदिरा गाँधी की सरकार ने इसे समाप्त किया और छठी पंचवर्षीय योजना का फिर से पुनआरम्भ किया। यह योजना काफी सफल रही। इसका लक्ष्य 5.2% रखा गया, इसकी वृद्धि 5.7% हुई।

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- NABARD बैंक की स्थापना इसी योजना के दौरान हुई
- नागरिको को रोजगार प्राप्त करने पर जोर दिया गया
- आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना इसकी प्राथमिकता थी
- देश में Economic liberalization (आर्थिक उदारीकरण) की शुरुवात हुई
- फॅमिली प्लानिंग की शुरुवात भी इसी योजना के समय हुई

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, अनाज के उत्पादन को और अधिक मात्रा में बढ़ाना, देश के नागरिको के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान कराना,सामाजिक सेवा लोगो तक पहुंचना, क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य करना था। इसका लक्ष्य 5.0% रखा गया, इसकी वृद्धि 6.01% हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गयी, योजनाएं इस प्रकार से है :

- इंदिरा आवास योजना (1985-1986)
- जवाहर रोजगार योजना (1989)
- नेहरू रोजगार योजना (1989)

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- रोजगार के नए अवसर प्रदान किये गये
- योजना के अंतर्गत भोजन,काम,और उत्पादन का नारा दिया गया
- ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य करवाए गए
- सामाजिक सेवा लोगो तक पहुंचे इसके लिए कई योजनाए बनायीं गयी
- अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाने का कार्य जारी रखा गया
- नई नीति और कार्यक्रम पर जोर देना

महत्त्वपूर्ण जानकारी:

देश में केंद्र सरकार की अस्तिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी, जिसके कारण दो वार्षिक योजनाएं लागू की गयी। यह योजनाएं 1990-91 और 1991-92 वर्ष चली। 1990 में SIDBI (SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA) की स्थापना हुई और 1991 में आर्थिक सुधार हेतु घोषणा की गयी। इस योजनाओं की समाप्ति के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हुआ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 (जॉन डब्लू मिलर मॉडल पर आधारित)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिक से सम्बंधित विकास कार्य करना था। मानव संसाधन से जुड़े कार्य जैसे : शिक्षा हेतु स्कूलों का निर्माण, शिक्षा से जुडी योजनाएं, रोजगार सम्बंधित अवसर,सामाजिक विकास हेतु नई नीतिया बनाना था। प्रधान मंत्री योजना की शुरुवात भी इसी दौरान हुई। ऊर्जा क्षेत्र को भी इसकी प्राथमिकता मिली, सरकार ने ऊर्जा खर्च के लिए 26.6% की प्राथमिकता दी। यह योजना भी सफल रही, इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया, इसकी वृद्धि 6.8% हुई। योजना के तहत ही आर्थिक नीति को मंजूरी मिल गयी थी, जिसे नरसिम्हा राव ने मंजूर किया गया। आर्थिक नीति जैसे:

- उदारीकरण (Liberalization)
- निजीकरण (Privatization)
- वैश्वीकरण (Globalization)

योजना के तहत किये गए मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- शिक्षा को पहली प्राथमिकता मिली
- मानव विकास ही इसका मुख्य कार्य बना
- जनसंख्या में वृद्धि हेतु कार्य
- 15 से 35 वर्ष की लोगो में ILLETRACY को खत्म करना
- देश के विकास हेतु संस्थाओ का निर्माण
- योजना के अंतर्गत सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन को मजबूत करना
- पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नीव को और अधिक मजबूत बनाने की नीति बनायीं

नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 (आगत-निर्गत मॉडल पर आधारित)

इस योजना अंतर्गत सभी कार्य को बराबर तरीके से देश का आर्थिक विकास करना था। इसे भारत के 50वे वर्ष होने के दौरान लागू किया गया था। विकास हेतु इसमें 15 साल पुरानी योजनीति अपनायी गयी, लेकिन यह योजना अपने सभी आर्थिक विकास हेतु सफल नहीं रही। परन्तु अन्य योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, घरेलु संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर बनना, नए रोजगार के अवसर, मानव विकास, आदि जैसे कार्य को जारी रखा गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र, ग्रामीण लोगो का विकास, शिक्षा हेतु निर्माण, साफ़ पीने का पानी,आदि सभी कार्य

अध्याय – 4

ग्रामीण विकास

राजस्थान में **ग्रामीण विकास** के लिए एक विकेंद्रीकृत ढांचा अपनाया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार **'विकसित राजस्थान @2047'** के विजन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण के लिए प्रतिबद्ध है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका):

स्थापना और उद्देश्य

- **राजीविका की स्थापना** ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में **अक्टूबर, 2010** में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- यह संस्था **राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958** के तहत पंजीकृत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए एक स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थागत आधार तैयार करना है ताकि संवहनीय आजीविका के माध्यम से उनकी घरेलू आय में वृद्धि की जा सके।
- यह परिषद् ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और लक्षित सार्वजनिक सेवाओं तक निर्धनों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्य करती है।

संस्थागत ढांचा और प्रगति

- राजीविका के तहत ग्रामीण परिवारों की पहचान **सहभागिता पहचान प्रक्रिया (PIP)** और **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011)** के माध्यम से की जाती है।
- अब तक लगभग **51.01 लाख गरीब परिवारों** को राजीविका से जोड़ा जा चुका है।
- इन परिवारों को **4.29 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs), 32,061 ग्राम संगठनों (VOs)** और **1,078 क्लस्टर स्तरीय संघों (CLFs)** में संगठित किया गया है।

- ***वित्तीय समावेशन***

- स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बैंकों में उनके बचत खाते खुलवाए जाते हैं और बैंकों के माध्यम से अब तक **₹10,788.96 करोड़ का ऋण** प्रदान किया गया है।
- दिसम्बर 2025 तक, **डिजिटल पेमेन्ट सखी (BC सखी)** के रूप में कार्यरत महिलाओं ने ₹671.07 करोड़ का लेनदेन किया है।

- ***महिला सशक्तिकरण और प्रमुख योजनाएं***

- **लखपति दीदी कार्यक्रम:** इस पहल के तहत अब तक **12.98 लाख महिलाओं** को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है।
- **नमो ड्रोन दीदी योजना:** राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉकों में **50 कृषि ड्रोन** वितरित किए गए हैं, जिनका उपयोग लगभग 12,500 एकड़ भूमि पर छिड़काव हेतु किया गया है।
- **महिला उद्यम:** ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **54,879 से अधिक महिला उद्यम** (जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, किराना स्टोर आदि) स्थापित किए गए हैं।
- **रिटेल और कैंटीन:** स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य में **11 रिटेल स्टोर** खोले गए हैं और जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर महिलाओं द्वारा **254 कैंटीन** का संचालन किया जा रहा है।
- **उड़ान योजना:** सभी जिलों में सेनेटरी पैड निर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से दिसम्बर 2025 तक **63 लाख सेनेटरी पैड** वितरित किए गए हैं।

डिजिटल और तकनीकी पहल

- **राज सखी मोबाइल ऐप:** सखी संवर्गों (जैसे पशु सखी, कृषि सखी) के नियमित और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है।
- वर्तमान में राज्य में **36,787 कृषि सखी** कार्यरत हैं जो आधुनिक खेती की तकनीकों का प्रचार-प्रसार कर रही हैं।
- **बर्तन बैंक:** 1,000 ग्राम पंचायतों में महिला समूहों द्वारा प्रबंधित बर्तन बैंक स्थापित किए गए हैं, जो सामुदायिक आय का एक नया स्रोत बने हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे अब **दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM)** के रूप में जाना जाता है, राजस्थान में ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है,। राजस्थान में इस मिशन का क्रियान्वयन **राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका)** द्वारा किया जा रहा है,।

इस मिशन की प्रमुख विशेषताएं और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

1. मिशन के मुख्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को संगठित और मजबूत करना।
- ग्रामीण निर्धनों के लिए **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देना और ऋणों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करना,।
- **महिला सशक्तिकरण** को सुदृढ़ करना और उनकी घरेलू आय में वृद्धि करना।

- कृषि और गैर-कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों में **विविधीकरण** को सहायता प्रदान करना।

2. स्वयं सहायता समूह (SHG) और संस्थागत प्रगति

- दिसम्बर 2025 तक राज्य में कुल **4,29,525 स्वयं सहायता समूहों** का गठन किया जा चुका है।
- अकेले वर्ष 2025-26 (दिसम्बर 2025 तक) के दौरान **16,952 नए समूहों** का गठन किया गया है।

राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

- **<u>माह दिसम्बर, 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियां</u>**
- वर्तमान में यह परियोजना राज्य के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित की जा रही है। 38,452 गांवों में कुल 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) बनाए गए हैं, जिससे 51.01 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- 32,061 से अधिक ग्राम संगठन (वी.ओ.) और 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.) जुड़े हुए हैं, जो वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- राजीविका के माध्यम से आजीविका संवर्धन के लिए ₹2,116.03 करोड़ आवंटित किए गए हैं एवं ₹10,788.96 करोड़ के बैंक ऋण प्रदान किये गये हैं।
- राजस्थान महिला कोष के माध्यम से राजीविका की 1,54,861 महिलाओं को लगभग ₹735 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, ये ऋण 2.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, जिसमें 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
- कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 36.03 लाख गरीब परिवार लाभान्वित हुये हैं।
- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आजीविका संवर्धन के लिए 2 उत्पादक कम्पनियां स्थापित की गई हैं।
- 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के तकनीकी सहयोग से कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में ₹41.89 करोड़ की लागत से उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। अब तक 30,033 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) परिवारों से ₹500 करोड़ का दूध खरीदा गया है, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हुई है।
- कोटा और बारां जिलों में सोयाबीन, सरसों और धनिया पर आधारित मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए ₹17.39 करोड़ के निवेश से हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। इस पहल से 18,345 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिसका कुल कारोबार ₹34.20 करोड़ रहा है।
- कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3,237 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जिससे 2.32 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से जुड़े हैं।
- 65 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) बनाए गए हैं, जिससे 45,531 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

<u>नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, पशु सखी एवं कृषि सखी</u>

- नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन एवं उनके परिवहन के लिए वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया एवं कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। यह पहल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगी।
- नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं। ड्रोन दीदियों

ने दिसम्बर, 2025 तक लगभग 12,500 एकड़ कृषि भूमि पर सफलतापूर्वक कार्य किया है।

सोलर दीदी - वर्ष 2025-26 में 25,000 सोलर दीदियों के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों की पहचान की गई है।

लखपति दीदी- योजना के अंतर्गत 796 लखपति मास्टर ट्रेनरों द्वारा 24,907 लखपति कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (सी.आर.पी.) को प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 19.90 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से कुल 12.98 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल किया गया है।

बैंक सखी - कुल 7,104 महिलाएँ डिजिटल सखी (डीजी पे सखी) के रूप में तथा 6,053 महिलाएँ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी (बी.सी. सखी) के रूप में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसम्बर 2025 तक राशि ₹671.07 करोड़ के लेन-देन किए गए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं इसके द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। यह सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु तैयार है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹9,441.01 करोड़ व्यय कर 3,155.57 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं तथा 58.86 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है एवं कुल 5.11 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।
- वर्ष 2025-26 के दौरान (दिसम्बर तक) कुल ₹4,819.26 करोड़ व्यय कर 1,554.85 लाख मानव दिवसों का सृजन कर 42.03 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 46,684 परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना**

- (सी.एम.आर.ई.जी.एस) के अन्तर्गत मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है एवं 47 अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **मिशन अमृत सरोवर**

- मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण / विकास करना है, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य 2,475 है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम एक एकड (0.4 हैक्टर) का तालाब क्षेत्र होगा। मिशन अमृत सरोवर के प्रथम चरण के अन्तर्गत कुल 3,138 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण में कुल 601 अमृत सरोवर का चिन्हीकरण किया गया है।

- **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम- जनमन)**

- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) का विकास करना है। राज्य के बारां जिले की 08 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन (पी.वी.टी.जी.) सहरिया परिवारों को ₹2.00 लाख प्रति आवास निर्माण हेतु, शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 एवं मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि ₹25,290 सहित कुल राशि ₹2.37 लाख प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत पक्का आवास होने पर अथवा परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन, सहरिया परिवार पात्र हैं। ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम-जनमन के अन्तर्गत बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में सहरिया जनजाति के परिवारों का वर्ष 2023-24 में सर्वे कराकर एवं पात्र परिवार चिन्हित कर आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।
- योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल आवंटित लक्ष्य 26,671 आवासों के विरुद्ध 22,416 आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 के लिए 17,512 आवास और 2024-25 के लिए 9,159 आवासों का लक्ष्य शामिल हैं। योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक ₹368.18 करोड़ व्यय कर 11,411 आवास पूर्ण किए गए हैं।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण**

- योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सीसी.-2011) के समंकों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि ₹12,000 देय है। योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से दैनिक मजदूरी (90 दिवस तक) भी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025-26 के लिए